



मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

**वार्षिक प्रशासकीय
प्रतिवेदन**

वर्ष 2016-17

“प्रशासन की डोर, सुशासन की ओर”



कमिश्नर-कलेक्टर-सीईओ कॉन्फ्रेन्स



मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह



मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016 - 2017

“प्रशासन की डोर, सुशासन की ओर”

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रीगण एवं अधिकारी	1 - 2
	भाग - एक	3 - 63
2.	विभागीय संरचना	3 - 11
	2.1 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
	(क) राजनैतिक	
	(ख) सामान्य	
	(ग) नियुक्तियों एवं सेवाएं	
	(घ) प्रशिक्षण	
	(च) प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता	
	(छ) कर्मचारी कल्याण	
	(ज) विविध	
	2.2 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	
	2.3 विभाग के आयोग तथा कार्यालय	
	2.4 विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं का नाम	
3.	विभाग के महत्वपूर्ण विषय	12 - 40
	3.1 मंत्रि-परिषद	
	3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम	
	3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	
	3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स	
	3.5 मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा	
	3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान	
	3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण	
	(1) अशोकचक्र श्रृंखला पुरस्कार	
	(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार	
	(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार	
	(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार	
	(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरस्कार	
	(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सदभावना पुरस्कार	
	(7) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	
	(8) सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार	
	(9) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार	

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
3.8	प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान	
3.9	अन्तर्विभागीय समिति	
3.10	सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान	
3.11	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	
3.12	मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि	
3.13	कार्मिक नीति	
3.14	आरक्षण	
3.15	लेखा शाखा	
3.16	कर्मचारी कल्याण	
3.17	कार्य नीति	
3.18	निरीक्षण	
3.19	प्रशासनिक सुधार	
	(1) “मंथन 2014” समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही	
	(2) सुराज मिशन	
	(3) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण	
	(4) जन सुनवाई	
	(5) परख	
	(6) सुशासन	
	(7) मंत्रालय में वाई-फाई कनेक्टिविटी	
	(8) “आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश” सम्मेलनों का आयोजन	
3.20	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन	
3.21	संसदीय कार्य	
3.22	मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन	
3.23	मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार	
3.24	स्थापना सम्बन्धी कार्य	
	(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा	
	(2) राज्य प्रशासनिक सेवा	
	(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना	
	(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना	
	(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ-श्रेणी स्थापना)	

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
4.	विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियां	41 - 63
	4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	
	4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी	
	4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	
	4.4 लोकायुक्त संगठन	
	4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ	
	4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) संगठन	
	4.7 विभागीय जांच आयुक्त	
	4.8 आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन, नई दिल्ली	
	4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	
	4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	
	4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति	
	4.12 राज्य सत्कार कार्यालय	
	भाग - दो	64 - 66
5.	बजट	
	5.1 मांग संख्या - 01	
	5.2 मांग संख्या - 02	
	भाग - तीन	67 - 68
6.	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	भाग - चार	69 - 70
7.	जांच आयोग	
	भाग - पांच	71
8.	अभिनव योजना/कार्य	
	भाग - छः	71
9.	निकाले जा रहे प्रकाशन	
	भाग - सात	72
10.	महिला सशक्तिकरण	
	भाग - आठ	73 - 74
11.	सारांश	
	परिशिष्ट - एक - सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों में कार्य आवंटन	75 - 84
	परिशिष्ट - दो - राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची	85 - 86

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016 - 2017

1. सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारी

मुख्यमंत्री	श्री शिवराज सिंह चौहान
राज्य मंत्री	श्री लाल सिंह आर्य
मुख्य सचिव	श्री बसंत प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव	श्रीमती सीमा शर्मा
सचिव (कार्मिक)	श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा
अपर सचिव	श्री के.के.कातिया
उप सचिव	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (कार्मिक) श्री संजीव श्रीवास्तव श्रीमती उषा परमार श्री सुधीर कोचर (कार्मिक) डॉ. अमिताभ अवस्थी श्री सी.बी.पड़वार श्री एस.सी.रामसरिया
राज्य शिष्टाचार अधिकारी पदेन उप सचिव	श्री संजय कुमार

अवर सचिव

श्री एम. के. बातव (कार्मिक)
श्री फजल मोहम्मद (कार्मिक)
श्री आर. एन. चौहान
श्रीमती श्यामबाई धुर्वे
श्री प्रदीप जैन
श्री घनश्याम मूलानी
श्रीमती माधवी नागेन्द्र
श्री अशोक कुमार मालवीय

उप संचालक
(कर्मचारी कल्याण संगठन)

श्री घनश्याम मूलानी

मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. सुधीर यादव

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
एवं पदेन अवर सचिव (लेखा)

श्री सतीश उपाध्याय

लेखा अधिकारी

श्री दीपक धगत

सत्कार अधिकारी

श्री संजय सिंह चौहान

भाग - एक

2. विभागीय संरचना

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का मुख्य विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से नीति संबंधी विषय, अन्तर्विभागीय समन्वय, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियम/निर्देश, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवायें, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, सतर्कता तथा प्रशिक्षण तथा राज्यपाल सचिवालय से संबंधित कार्य संपादित किये जाते हैं।

विभाग में कार्य संपादन हेतु वर्तमान में एक प्रमुख सचिव, एक सचिव (कार्मिक), एक अपर सचिव, सात उप सचिव, एक राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, एक मुख्य लेखा अधिकारी, आठ अवर सचिव, एक उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन), एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं पदेन अवर सचिव (लेखा), एक सत्कार अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी पदस्थ हैं।

विभाग के इक्कीस कक्ष तथा सात प्रकोष्ठ हैं। कक्षों एवं प्रकोष्ठों में संपादित होने वाले कार्यों का विवरण **परिशिष्ट - एक** पर दर्शाया गया है।

विभाग में प्रतिपादित महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(2.1) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा छुट्टी के संबंध में अधिकार
3. राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना
4. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते
5. उच्च न्यायालय का गठन तथा संरचना
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग-पत्र, वेतन, अवकाश, पेंशन तथा भत्ते
7. राजस्व मण्डल-अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
8. संघ लोक सेवा आयोग से समन्वय
9. राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित मामले -
(एक) सेवा की शर्तें
(दो) कृत्यों का परिसीमन

10. राज्य निर्वाचन आयोग

11. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य :

(क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- (1) भारत सरकार,
- (2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
- (3) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य

राजनैतिक

12. राजनैतिक क्रियाकलाप

13. पाक्षिक प्रतिवेदन

14. कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स)

15. भारत- पाक संबंध

16. युद्ध और शांति

17. संयुक्त राष्ट्र संघ

18. भारत की प्रतिरक्षा

19. नौ सेना, थलसेना, वायुसेना

20. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन

21. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात् -

(एक) एकीकरण करार

(दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियाँ, निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते

(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोह के रूप में मनाये जाने वाले समारोह, और

(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय

22. पारितोषक और अलंकरण

23. राष्ट्रीय एकीकरण

24. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

25. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय

26. क्षेत्रीय परिषद्

27. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण

28. प्रादेशिक सेना

29. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध
30. सम्मेलन-संसद सदस्य/आयुक्त/कलेक्टर
31. जिला सलाहकार समितियां
32. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
33. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
34. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि
35. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जन-सम्पर्क दौरे
36. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन
37. मीसा बन्दियों को सम्मान निधि

सामान्य

38. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत
39. राज्य चिन्ह
40. राष्ट्रीय त्यौहार
41. राज्य के उत्सव और समारोह
42. शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय कलेण्डर
43. शासकीय पोशाक
44. पूर्वता-अधिपत्र
45. महत्वपूर्ण घटनाएं
46. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना-संदेश
47. अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आगमन
48. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
49. मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से संबंधित विषय
50. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
51. शासकीय भवनों का नामकरण
52. राजपत्र (असाधारण)
53. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी

नियुक्तियां एवं सेवाएं

54. भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा से संबंधित समस्त विषय (वित्त विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ - नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन
55. सिविल सेवा और सेवावृत्त
56. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण

57. वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्लानिंग)
58. मंत्रालय -
(एक) अधिकारी तथा स्थापना
(दो) प्रशासनिक सुधार
(तीन) भवन
59. मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव
60. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय
61. राज्य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम और आदेश जारी करना
62. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना
63. समन्वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित)
64. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेवाओं के लिए भर्ती की नीति अवधारित करना
65. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये उनके चरित्र और पूर्ववत् तथा उपयुक्तता का सत्यापन करने के बारे में सामान्य नीति
66. श्रेणी (ग्रेड्स), वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना
67. वेतन आयोग से संबंधित कार्य
68. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं, प्रारूपित तथा प्रवर्तित किये गये हैं
69. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिये सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति
70. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिये युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना
71. पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना
72. विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का समय पर आयोजन तथा प्रोन्नत व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटे की उचित रूप से पूर्ति सुनिश्चित करना।
73. परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों के पालन का पर्यवेक्षण।
74. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्तें आदि तय करना
75. सामान्य स्वरूप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना

76. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति
77. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति

प्रशिक्षण

78. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति
79. नव नियुक्तों के लिये तथा साथ ही पुनश्चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना
80. प्रशासन-प्रशिक्षण-आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय (क) विभागीय परीक्षाएँ

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता

81. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति
82. कर्मचारी निरीक्षण इकाई
83. प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ
84. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त
85. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी
86. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (22.6.12 से परिवर्तित) से संबंधित कार्य
87. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय
88. विशेष पुलिस स्थापना
89. जांच आयोग

कर्मचारी कल्याण

90. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी (सेवा) संघों को मान्यता देना
91. संयुक्त परामर्शदात्री समिति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये बैठक का आयोजन
92. मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के निर्वाचित प्रदेश एवं जिला स्तर कर्मचारी पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छुट संबंधी।

विविध

93. विभागीय नीति से भिन्न सामान्य नीति संबंधी प्रश्न, जिसमें ऐसे अवशिष्ट विषय सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य सूची में न आए हों.

94. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी।
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।

(2.2) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम
2. मध्यप्रदेश शासन कार्य नियम
3. मध्यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियम
4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1957
7. मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008
8. मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972
9. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम
10. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम
11. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979
12. जांच आयोग अधिनियम, 1952
13. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
14. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995
15. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994
16. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998
17. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002
18. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997
19. भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985
20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
21. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
24. मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005
25. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित)
26. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008
27. मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 2011
28. म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013
29. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012)
30. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012

(2.3) विभाग के आयोग एवं कार्यालय

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	राजभवन सचिवालय	डॉ. एम. मोहन राव श्री शैलेन्द्र कियावत	राज्यपाल के प्रमुख सचिव अपर सचिव
2	लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यालय भोपाल	श्री यू.सी.माहेश्वरी श्री संजीव कुमार झा	उप लोकायुक्त सचिव
3	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	डॉ. व्ही. एम. कंवर डॉ. व्ही. एम. कंवर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत	कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्य उप सचिव
4	मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	श्री आर. परशुराम श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	राज्य चुनाव आयुक्त सचिव
5	मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	श्री करीम दाद खान श्री आत्मदीप श्री सुखराज सिंह श्री हीरालाल त्रिवेदी श्रीमती रजनी उईके	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त सचिव
6	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	डॉ बी. बी. ब्यौहार प्रो. एस. पी. गौतम श्री भास्कर चौबे श्रीमती रेणु पंत श्रीमती वंदना वैद्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव उप सचिव
7	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल	श्रीमती कंचन जैन श्री मनीष रस्तोगी	महानिदेशक संचालक

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
8	विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त कार्यालय भोपाल)	श्री अनिल कुमार	महानिदेशक
9	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल	डॉ. विजय यादव	महानिदेशक
10	विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय, भोपाल	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	विभागीय जांच आयुक्त
11	मध्यप्रदेश भवन, नई-दिल्ली	श्री आई. सी. पी. केशरी श्री आशीष श्रीवास्तव	विशेष आयुक्त आवासीय आयुक्त
12	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन, भोपाल	श्री आर. के. मेहरा	मुख्य तकनीकी परीक्षक
13	राज्य सत्कार कार्यालय	श्री संजय कुमार	राज्य शिष्टाचार अधिकारी

(2.4) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. राज्य प्रशासनिक सेवा
3. मध्यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा
4. राजभवन, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, प्रशासन अकादमी और राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश सूचना आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय

3. विभाग के महत्वपूर्ण विषय

3.1 मंत्रि - परिषद्

- (1) प्रदेश मंत्रि-परिषद् में 30 सदस्य हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 20 मंत्री एवं 09 राज्य मंत्री हैं।
- (2) वर्ष 2016 में विभिन्न विभागों की 09 मंत्रि-परिषद् समितियां गठित/पुनर्गठित की गई। इसके अतिरिक्त पर्यटन मामलों की मंत्रि-परिषद् समिति “पर्यटन कैबिनेट” का गठन दिनांक 10/03/2016 एवं पुनर्गठन दिनांक 30/07/2016 को रोजगार मामलों की मंत्रि-परिषद् समिति “रोजगार कैबिनेट” का गठन दिनांक 31/08/2016 को तथा कृषि क्षेत्रक मामलों की मंत्रि-परिषद् समिति यथा “कृषि कैबिनेट” का पुनर्गठन दिनांक 30/07/2016 को किया गया।

3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

राज्य शासन के कार्य के सुविधाजनक संपादन हेतु संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के तहत निम्नलिखित नियम बनाये गये हैं:-

- (1) मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम
- (2) मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम पुस्तिकाओं को अद्यतन किया जाकर दिनांक 30.11.2013 की स्थिति में प्रकाशित कराया गया।

राज्य शासन का कार्य, कार्य आवंटन नियमों के तहत 64 विभागों में विभक्त था। तात्कालिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 03 नए विभाग गठित करते हुए 12 विभागों को विलोपित किया गया है, साथ ही 08 विभागों का नाम परिवर्तित भी किया गया है। अतः वर्तमान में 55 विभाग क्रियाशील हैं। विभागों की सूची परिशिष्ट - दो पर है।

3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जबलपुर में एवं खण्डपीठें इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थित हैं।

3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स

विभिन्न शासकीय आयोजनों हेतु पूर्वता अधिपत्र आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स का निर्धारण संबंधी अधिसूचना दिनांक 23/12/2011 को जारी की गई।

3.5 मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा

वर्ष 2016 में निगम/मण्डल/आयोगों/प्राधिकरणों/समितियों आदि में 19 अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री/मंत्री स्तर तथा 21 अध्यक्षों/उपाध्यक्षों तथा समस्त जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है।

3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान

मंत्रि-परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले स्वेच्छानुदान की वार्षिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:-

मुख्यमंत्री	-	रु. दो करोड़
मंत्री	-	रु. पचास लाख**
राज्य मंत्री	-	रु. पैंतीस लाख**

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में रु 70.00 करोड़ का प्रावधान है।

उपरोक्त वार्षिक सीमा के अधधीन नियम के अंतर्गत किसी एक प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकतम रूपये दो लाख, माननीय मंत्री द्वारा रूपये बीस हजार एवं माननीय राज्यमंत्री द्वारा रूपये सोलह हजार की राशि स्वीकृत की जा सकती है।

* मंत्रीगण के जनसम्पर्क दौरे के लिये प्रति विधान सभा क्षेत्र में रूपये दो लाख पचहत्तर हजार के मान से राशि प्रावधानित की गई है जिसमें से जिलों के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर जिलाध्यक्ष स्वीकृति जारी करते हैं। इस मद से राशि के व्यय हेतु योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वविवेक से करते हैं। इस मद के तहत विधान सभा क्षेत्र के लिये आवंटित होने वाली रूपये दो लाख पचहत्तर हजार की राशि में से रूपये पचहत्तर हजार की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित रहती है, जिसकी अनुशंसा माननीय लोक सभा सांसद द्वारा की जाती है।

* (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2004/एक(1) दिनांक 10/06/2006 एवं 21/02/2011 द्वारा संशोधित)

** (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2014/एक(1) दिनांक 23/04/2016 द्वारा संशोधित)

माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद वित्तीय वर्ष 2016 - 2017 में आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	06 जनवरी, 2017 तक व्यय राशि	कुल आदेश
2016-17	70,00,00,000	56,27,24,581	1462

माननीय मंत्रीगणों के स्वेच्छानुदान मद से राशि वितरित करने के संबंध में कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। संबंधित कलेक्टर द्वारा पूर्व में ई-पेमेंट के माध्यम से संबंधित हितग्राही/संस्थाओं को राशि का भुगतान किया जाता था। अब बैंक के माध्यम से भुगतान के निर्देश जारी किये गये हैं।

3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण

(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार

सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस एवं अभूतपूर्व कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौ सेना वायु सेना मेडल, मेन्शन इन डिस्पेचेज, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल (विशिष्ट सेवा) एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किये जाते हैं। उक्त शौर्य से सम्मानित सैनिक/असैनिक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, को राज्य शासन की ओर से नगद अनुदान एवं भूमि के एवज में नगद अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार

प्राकृतिक संकट में ग्रस्त व्यक्तियों, कुख्यात डाकुओं, असामाजिक तत्वों द्वारा घटित घटना, असामाजिक उपद्रवों तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि के समय व्यक्ति/व्यक्तियों/जनसमूह के प्राणों की रक्षा करने में वीरता तथा साहस का परिचय देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को शासन की ओर से नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र दिये जाते हैं। दिये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1- सर्वोत्तम वीरतापूर्ण कार्य	रुपये 25,000/-
2- उत्तम वीरतापूर्ण कार्य	रुपये 15,000/-
3- वीरतापूर्ण कार्य	रुपये 10,000/-

वर्ष 2012, 2013, 2014 एवं 2015 के राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्तियों को राशि रूपये 85,000/- स्वीकृत किये गये।

(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार

विभाग द्वारा प्रदेश के स्थाई निवासी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यों के लिये महाराणा प्रताप शौर्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत रूपये एक लाख केवल का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार

प्रदेश सरकार ने युवाओं में धर्म निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एकता एवं मानवता की सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिये संत महापुरुषों के नाम पर रुपये 50,000 - 50,000/- एवं प्रशंसा-पत्र के पांच पुरस्कार निम्नानुसार स्थापित किये गये हैं:-

1. कबीर राज्य सम्मान पुरस्कार
2. शंकराचार्य राज्य सम्मान पुरस्कार
3. गुरुनानक राज्य सम्मान पुरस्कार
4. गौतम बुद्ध राज्य सम्मान पुरस्कार
5. रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार

(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार

राज्य शासन ने अशासकीय संस्था तथा कार्यकर्ता (अशासकीय व्यक्तियों) के द्वारा अल्पसंख्यकों की भलाई के लिये निर्धारित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में श्रेयस्कर कार्य किया हो साथ ही शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिये पांच पुरस्कार रुपये 25,000 - 25000/- एवं प्रशंसा-पत्र के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं:-

(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार

राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न धर्मों/ सम्प्रदायों/ समाजों में व्याप्त कुरीतियों/ कटुता/ वैमनस्य को दूर कर सामाजिक सद्भावना स्थापित करने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंजीकृत संस्था को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से रुपये 1.00 लाख का भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार स्थापित किया है। यदि पुरस्कार के लिए एक से अधिक संस्थाएँ पात्र होंगी तो पुरस्कार की राशि, उनमें बराबर-बराबर वितरित की जावेगी।

(7) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को पहल, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार निम्नानुसार दिये जाते हैं:-

1- राज्य स्तरीय पुरस्कार

(अ) <u>व्यक्तिगत</u>	रुपये एक लाख एवं प्रशंसा-पत्र
प्रथम पुरस्कार	रुपये पचहत्तर हजार एवं प्रशंसा-पत्र
द्वितीय पुरस्कार	रुपये पचास हजार एवं प्रशंसा-पत्र
तृतीय पुरस्कार	
(ब) <u>अधिकारियों/कर्मचारियों के</u>	रुपये तीन लाख एवं प्रशंसा-पत्र
<u>समूह (टीम) हेतु पुरस्कार</u>	
(स) <u>शासकीय कार्यालय/ संस्था हेतु</u>	रुपये पांच लाख एवं प्रशंसा-पत्र
<u>पुरस्कार</u>	

2- जिला स्तरीय व्यक्तिगत पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	रुपये पच्चीस हजार एवं प्रशंसा-पत्र
द्वितीय पुरस्कार	रुपये पन्द्रह हजार एवं प्रशंसा-पत्र
तृतीय पुरस्कार	रुपये दस हजार एवं प्रशंसा-पत्र

(8) सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार

संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 68 पर कार्यवाही के तहत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने के लिए संबंधित विभागों में “सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना” लागू की गई है। उक्त पुरस्कार योजना अंतर्गत मांग संख्या-2 में वर्ष 2016-17 हेतु रुपये 10.00 लाख का प्रावधान है।

(9) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

प्रदेश के प्रादेशिक सेना अलंकरण एवं प्रादेशिक सेना मेडल से सम्मानित सैनिकों को पुरस्कृत होने पर राज्य शासन की ओर से क्रमशः रुपये 5,000/- एवं रुपये 3,000/- नगद पुरस्कार स्वीकृत किये जाते हैं।

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

प्रादेशिक सेना सागर/महू को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाये जाने वाले प्रादेशिक सेना दिवस के आयोजन हेतु इस विभाग द्वारा नगद अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

अन्तर्विभागीय समिति के गठन के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक 42 अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के आदेश जारी किये गये हैं।

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को जिलाध्यक्ष के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतकों के परिवार को अधिकतम रुपये 15,000/- एवं गंभीर घायलों को रुपये 7,500/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

सहायता हेतु ग्लोबल बजट घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर स्वयं राशि आहरित कर रहे हैं।

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान निधि नियम, 1972 की कंडिका-2 के अंतर्गत जिन्होंने आजादी की लड़ाई में वर्ष 1919 से 1946 तक की अवधि के दौरान भाग लिया है, ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाता है एवं नियम 3 की पूर्ति करने वालों को सम्मान निधि भी स्वीकृत की जाती है। साथ ही राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को अभिमत हेतु भेजा जाता है एवं आजादी की लड़ाई वर्ष 1919 से 1946 के बाद के भी कतिपय आंदोलनों यथा भूतपूर्व भोपाल राज्य सन् 1949 में हुए गोलीकांड, गोवा मुक्ति आंदोलन, 15 अगस्त, 1955 में भाग लेने वालों को भी सम्मान निधि स्वीकृति का प्रावधान है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -

1. राज्य शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में रुपये 25,000/- दिनांक 12/04/2016 से राज्य सम्मान निधि की गई है।
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरण भी राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
3. राज्य सम्मान निधि प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गवास होने पर उनकी अन्त्येष्टि आदि के लिये रुपये 4,000/- की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है।
4. राज्य सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नांकित सुविधायें राज्य सम्मान निधि तथा केन्द्रीय सम्मान निधि पाने वाले सेनानियों को दिए जाने के निर्देश हैं:-
 - मृत सेनानी के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता
 - सेनानी के पुत्र-पुत्रियों के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश।
 - प्रदेश के सेनानियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सहायता एवं उपचार।
 - सेनानी के पुत्र-पुत्रियों को मेडिकल कालेज में स्थान आरक्षण की सुविधा।

- सेनानी के पौत्र एवं पौत्रियों के लिए इंजिनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण।
- सेनानी के पुत्र एवं पौत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में समस्त पॉलीटेकनिक तथा उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों एवं कला निकेतन, जबलपुर की उच्चतर माध्यमिक तकनीकी पाठ्यक्रम एवं प्रिंटिंग टेक्नालॉजी पत्रोपाधि में प्रवेश हेतु आरक्षण।
- सेनानियों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के समय सम्मान देने हेतु शासन का प्रतिनिधित्व।
- मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित भू-खण्डों एवं निर्मित भवनों का आवंटन आरक्षण।
- शासन द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारियां यथा कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, घुटना जोड़ बदलना, हिप बदलना, न्यूरो सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, टी.बी., कृत्रिम अंग लगाना आदि के इलाज के लिए जिन्हें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गंभीर प्रवृत्ति की प्रमाणित किया गया हो को चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986 के तहत रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
- राज्य सेनानियों को निःशुल्क डेंचर, चश्मा तथा श्रवण यंत्र दिये जाने की सुविधा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान निधि, चिकित्सा सुविधा आदि के लिए वर्ष 2016-2017 में रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया।

मध्यप्रदेश स्वतंत्रा संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 तथा दिसम्बर, 2011 तक संशोधित नियमों तथा संबंधित आदेशों/निर्देशों का संकलन कर प्रकाशन जनवरी, 2015 में किया गया।

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

- (1) लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन सम्मान निधि में वृद्धि के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिये निरूद्ध रहे हों उन्हें रू.25,000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी। सम्मान निधि में बढोतरी दिनांक 12/04/2016 से की गई है। लोकतन्त्र सेनानी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को सम्मान निधि रू.12,500/- दी जावेगी। मीसाबंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

- (2) अधिसूचना दिनांक 04/01/2012 द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम-2008 में नियम-4 में संशोधन किया गया है।
- (3) मीसा/डी.आई.आर. में निरूद्ध रहे व्यक्तियों को सम्मान निधि/चिकित्सा सुविधा आदि के लिये वर्ष 2016-17 के लिये कुल राशि रू. 7.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- (4) मीसा/डी.आई.आर. में निरूद्ध व्यक्ति लोकतंत्र सेनानी कहलायेंगे। यह संशोधन दिनांक 12/04/2016 से मीसा/डी.आई.आर. सम्मान निधि नियम, 2008 में किया गया है।

3.13 कार्मिक नीति

- (1) प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के संबंध में बायोमैट्रिक जांच कराये जाने के संबंध में निर्देश दिनांक 06 जनवरी, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (2) राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा 40 वर्ष तथा मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु-सीमा 35 वर्ष के निर्धारण संबंधी निर्देश दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (3) 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा - राज्य द्वारा किये जाने वाली समस्त अधिसूचनाएँ, आदेश, निर्देश हिन्दी में जारी किए जाएंगे संबंधी निर्देश दिनांक 21 जनवरी, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (4) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में “संविलियन की योजना” की कण्डिका 2.6 में वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश दिनांक 28 जनवरी, 2016 एवं दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (5) विभागीय जांच प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिये जाने के निर्देश दिनांक 28 जनवरी, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (6) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में “संविलियन योजना की समय-सीमा में वृद्धि” के निर्देश दिनांक 07 मई, 2016 एवं दिनांक 20 सितम्बर, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (7) निःशक्तजनों को चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति के लिए “साईकिल चालन” की योग्यता से छूट दिये जाने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के निर्देश दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा जारी किये गये।

- (8) राज्य शासन के वर्दीधारी विभागों की सेवाओं में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 28 वर्ष के निर्धारण संबंधी निर्देश दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (9) शासकीय सेवा में भर्ती हेतु मेन्युअल प्रमाण-पत्र के स्थान पर कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र को मान्यता देने तथा कम्प्यूटर डिप्लोमा की सूची में आई.टी.आई. के एक वर्षीय (COPA) पाठ्यक्रमों को शामिल करने संबंधी निर्देश दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (10) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने संबंधी निर्देश दिनांक 31 अगस्त, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (11) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सुविधा संबंधी निर्देश दिनांक 31 अगस्त, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (12) कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए “स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना” दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा जारी की गई। इसमें वेतनमान, वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता एवं उपादान की सुविधा दी गई है।
- (13) मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 में विभिन्न संवर्गों की परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में अतिरिक्त समूह, उप समूह की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को जारी की गई।
- (14) महिलाओं की 12 सप्ताह की गर्भावस्था की अवधि में प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने संबंधी निर्देश दिनांक 01 नवम्बर, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (15) विभागीय जाँच/अपील प्रकरणों को लोक सेवा आयोग की राय हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों में निर्धारित प्रपत्र सहित चैक लिस्ट में जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (16) शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) आयोजित होने की समयावधि में संशोधन संबंधी निर्देश दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 द्वारा जारी किये गये।
- (17) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किये गये ग्रीनकार्ड धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में 05 प्रतिशत अंक की सुविधा एवं नियुक्ति हेतु आयु-सीमा में दो वर्ष की छूट समाप्त करने के निर्देश दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा जारी किये गये।

लोक सेवा गारंटी

जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत शामिल करते हुए इसकी प्रक्रिया ऑनलाईन कर डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से ही आवेदन पत्र लेकर डिजिटल लेमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र स्कूलों में ही वितरित करने के संबंध में एक विशेष अभियान दिनांक 01 जुलाई, 2014 से प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान की तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2017 निर्धारित की गई है। दिनांक 17 जनवरी, 2017 तक 01 करोड़ 26 लाख 57 हजार 398 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 01 करोड़ 24 लाख 65 हजार 390 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है।

दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016 की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियम शाखा से संबंधित (दो सेवाएं) सेवा क्रमांक 6.1 कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना के कुल 9,15,384 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 9,15,369 आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा चुका है एवं सेवा क्रमांक 6.2 कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र जारी करना के कुल 11,78,916 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 11,78,909 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक 6.4 “राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय” के संबंध में कुल 141 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनका निराकरण किया जा चुका है।

3.14 आरक्षण

- (1) आरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निशक्तजनों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों के लिये लोक सेवाओं एवं पदों में आरक्षण का निर्धारण, उनके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी नीति के निर्धारण का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- (2) राज्य की लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा सीधी भरती के प्रक्रम में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) (हॉरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेन्ट), निःशक्तजनों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 06 प्रतिशत (हॉरिजेण्टल) एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 20 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान है।
- (3) विभागीय परिपत्र दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा 30 जून, 2017 तक बढ़ायी गई है।

- (4) वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति के 1893, अनुसूचित जनजाति के 3160 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 1737 कुल 6790 पदों की पूर्ति की गई है। विशेष भर्ती अभियान के तहत वर्ष 2015 तक अनुसूचित जाति के 16003, अनुसूचित जनजाति के 27966 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 11054 कुल 55023 पदों की पूर्ति की जा चुकी है।
- (5) निःशक्तजनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे वॉक-इन-इंटरव्यू की नीति दिनांक 22 फरवरी, 2014 के तहत पदों की पूर्ति की जा रही है। विशेष अभियान की तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2017 निर्धारित की गई है।

3.15 लेखा शाखा

मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं शासकीय भुगतानों पर आयकर/गणना/कटोत्रा एवं विभाग का त्रैमासिक व वार्षिक ईटीडीएस रिटर्न व फार्म-16 समय-सीमा में प्रेषित किया गया।

एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अन्तर्गत समस्त शासकीय सेवकों के यूनिक एम्पलाई कोड बनाकर वेतन, भत्ते आदि का ई-भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह मंत्रालय में कार्यरत अशासकीय व्यक्तियों एवं सामग्री प्रदायकर्ताओं को वेन्डर कोड द्वारा ई-भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। इस प्रकार मंत्रालय में लगभग कैशलेस व्यवस्था लागू है।

3.16 कर्मचारी कल्याण

- (1) शासकीय सेवकों की समस्याओं का आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान करने के लिये शासन द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री/विभागीय/विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति गठित की गई है, इन समितियों की बैठक वर्ष में चार बार करने के निर्देश है।
- (2) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) के आदेश क्रमांक एफ 05-09/2015/1/15/क.क. दिनांक 07/05/2016 के द्वारा “मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ” की मांगों एवं वेतन विसंगतियों के संबंध में विचार करने हेतु श्री रमेश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

3.17 कार्य नीति

स्थानान्तरण नीति - प्रतिवर्ष शासन द्वारा राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु नीति बनाई जाती है। स्थानान्तरण नीति दिनांक 15/04/2016 को जारी की गई थी जो वर्तमान में प्रचलित है। वर्ष 2016-17 के लिये स्थानान्तरण संबंधी व्यवस्था हेतु

दिनांक 01/08/2016 से 16/08/2016 तक की अवधि के लिये स्थानान्तरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था।

स्थानान्तरण प्रकोष्ठ

रिट पिटीशन क्रमांक 5260/2004 डॉ. जगतसिंह परिहार विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मान. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के पालन में “स्थानान्तरण नीति” के विरुद्ध किए गये स्थानान्तरणों से संबंधित अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्थानान्तरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है।

शासन द्वारा जारी “स्थानान्तरण नीति 2016-17” के विरुद्ध स्थानान्तरण प्रकोष्ठ (सामान्य प्रशासन विभाग) में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की जाती है।

गोपनीय प्रतिवेदन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में चैनल निर्धारण की कार्यवाही की जाती है एवं प्रतिवेदन लिखने के संबंध में नियमानुकूल मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रथम श्रेणी अधिकारियों को गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटन किये जाने के निर्देश जारी किये गये साथ ही द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनके मांगे जाने पर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश जारी किये गये।

3.18 निरीक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 06/09/2004 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर को निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए गये।

संभागीय आयुक्त मुख्यालय से बाहर कम से कम 5 रात्रि तथा जिला कलेक्टर 3 रात्रि विश्राम करेंगे। आयुक्त अपने अधिनस्थ प्रत्येक जिला कार्यालय का वर्ष में एक बार तथा कलेक्टर अपने अधिनस्थ तहसील कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 5 दिवस अधिनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश हैं।

राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालयों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

3.19 प्रशासनिक सुधार

(1) “मंथन 2014” समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में “मंथन 2014” का दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर, 2014 को प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजन किया गया जिसमें चर्चा हेतु 07 विषय समूह बनाये गये।

मध्यप्रदेश के निर्माण एवं चहुंमुखी विकास के लिये राज्य शासन द्वारा चिन्हित प्राथमिकताओं पर प्रभावी कार्यवाही करने की दृष्टि से “मंथन 2014” की अनुशंसाओं को क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। “मंथन 2014” की वेबसाइट तैयार कर सभी विभागों की अनुशंसाओं को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। “मंथन 2014” समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित 54 अनुशंसाओं तथा सामान्य प्रशासन विभाग की समस्त विभागों से संबंधित 12, कुल 66 अनुशंसाओं में से 54 अनुशंसाओं पर पूर्ण/पूर्ण सतत् की कार्यवाही की गई है।

(2) सुराज मिशन

लोक कल्याण शिविरों का आयोजन प्रत्येक विकासखंड में माह में एक बार निश्चित दिन पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव / विभागाध्यक्षों /संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्धारित प्रारूप में मासिक डायरी का संधारण ऑनलाइन द्वारा किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। मासिक डायरी में अधिकारियों द्वारा माह में अपने प्रभार के विभाग में जो भी प्रमुख निर्णय लिये गये हों अथवा प्रमुख कार्य किये गये हैं उनका विभागवार उल्लेख किये जाने के निर्देश हैं।

(4) जन सुनवाई

जनता की आम समस्याओं को ध्यान में रखते हुये उनके तत्काल निराकरण हेतु समस्त विभागों को यह निर्देशित किया गया है कि “विभागाध्यक्ष से लेकर विकास खण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय के, 1 कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11.00 से दोपहर 01.00 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे”। समस्त संभागायुक्तों को एक वर्ष से अधिक जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों (न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) पर संबंधित विभाग प्रमुख से चर्चा कर 3 माह में निराकरण के निर्देश दिये गये।

(5) परख

आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की मॉनिटरिंग हेतु “परख” कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के तृतीय गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाता है।

(6) सुशासन

- (क) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) द्वारा अधिकारियों की परफार्मेंस का ऑनलाईन मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन के अंतर्गत ऑन लाईन गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जा रहे हैं।
- (ख) विभागीय परिपत्र दिनांक 25/09/2014 द्वारा स्वअभिप्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर सेवाओं को प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किये गये। इसी प्रकार विभागीय परिपत्र दिनांक 13/01/2014 द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 9 में शिक्षा प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान किया गया।
- (ग) प्रशासन अकादमी द्वारा सचिवालय एवं संचालनालय के कर्मचारियों के लिये समग्र क्षमता संवर्धन विषयक 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 402 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिला स्तर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 48 जिलों में 99 मास्टर ट्रेनर्स विकसित किये गये। दिनांक 24/01/2017 द्वारा शासकीय प्रक्रिया एवं मैनुअल का प्रशिक्षण कार्यक्रम मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिये गये हैं।
- (घ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल केरियर सर्विस परियोजना के अंतर्गत की गई नेशनल पोर्टल की व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय नौकरियों के लिये रिक्तियों की विज्ञप्ति उक्त पोर्टल पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 21/11/2016 द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है।
- (ङ) संवेदनशील एवं पारदर्शी प्रशासन के लिये संभाग एवं जिले के आंतरिक क्षेत्रों में विभागाध्यक्ष, आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा दौरा कर रात्रि विश्राम कर मौके पर ही समस्याओं के निराकरण कराने एवं केन्द्रीय व जिला जेलों के निरीक्षण सहित कानून एवं व्यवस्था संबंधी संस्थानों के भी निरीक्षण किये जाने के निर्देश विभागीय परिपत्र दिनांक 16/11/2016 जारी किये गये।
- (च) जेण्डर समानता के प्रति संवेदनशीलता के बिन्दु को प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के शासकीय सेवक के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के निर्देश दिनांक 14/07/2015 द्वारा समस्त विभागों को दिये गये।

- (छ) समस्त शासकीय कार्य, पत्र व्यवहार अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को अंग्रेजी नहीं आने के आधार पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित नहीं किये जाने तथा राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी में रखने के निर्देश दिनांक 11/01/2016 द्वारा जारी किये गये।
- (ज) विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मौके पर आंकलन, शासकीय कार्यक्रमों और नीतियों के संबंध में नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने, प्रदेशवासियों से सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा फरवरी, 2016 में जन कल्याण यात्रा, 2016 का आरंभ किया गया।

(7) मंत्रालय में वाई-फाई कनेक्टिविटी

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों को तीव्र गति की सुरक्षित अबाधित तथा गुणवत्तापूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश इस विभाग के पत्र दिनांक 05/06/2014 द्वारा जारी किये गये हैं। यह सुविधा मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये भी लागू की गई है। विभागीय परिपत्र दिनांक 31/12/2016 द्वारा विन्ध्याचल एवं सतपुड़ा भवन स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों को भी वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के निर्देश जारी किये गये।

(8) “आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश” सम्मेलनों का आयोजन

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा “आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश” सम्मेलन की सुलभ एवं सुदृढ़ व्यवस्थाओं में और सुधार करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें आमंत्रित अतिथियों/नागरिकों के लिये इसका लाभ प्राप्त होना सुलभ हो।

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

राज्य शासन द्वारा सरकार की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामांकित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही विभाग द्वारा विभागीय जानकारी पर आधारित 17 बिंदुओं का मैनुअल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग एवं कार्मिक के लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए:-

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित आवेदनों की संख्या

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	कार्यवाई प्रचलित
1257	1205	52

प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या:-

प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	निराकृत अपील दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	कार्यवाई प्रचलित
199	199	निरंक

कार्मिक से संबंधित प्राप्त आवेदनों संख्या:-

कार्मिक से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	कार्यवाई प्रचलित
237	149	88

कार्मिक से संबंधित प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या:-

प्राप्त अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	निराकृत अपील दिनांक दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016	कार्यवाई प्रचलित
91	43	48

जनसामान्य के उपयोग के लिए मार्गदर्शिका का द्वितीय संस्करण भी प्रकाशन कराया गया है।

3.21 संसदीय कार्य

वर्ष 2016 में विधान सभा के तीन सत्र आयोजित हुये। बजट सत्र के लिये माननीय राज्यपाल का अभिभाषण तैयार कराया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखा गया।

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत राज्य स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी के अंतिम राज्य आवंटन के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 17/04/2007 के तहत, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं

पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार हेतु राज्य सलाहकार समिति गठित की गई है। मंत्रालय, भोपाल में दिनांक 06/10/2016 को राज्य सलाहकार समिति की 27वीं बैठक संपन्न हुई। समिति के समक्ष राज्य आवंटन के कुल 114 अभ्यावेदन/प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान राज्य आवंटन से संबंधित कुल 148 न्यायालयीन प्रकरणों पर भी संबंधित विभागों को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वर्तमान में राज्य आवंटन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों पर संबंधित विभागों से समन्वय कर निर्देशानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय को निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है -

- (1) **अधिकारी पुस्तकालय (Officers' Library) :-** इसमें हर विषय की पुस्तकें संकलित की गई है।
- (2) **संदर्भ पुस्तकालय:-** इसमें अधिनियम (Acts), संहिता (Codes), नियमावली (Manual Gazette & Gazetteer, Census), रिपोर्ट्स आदि शासकीय एवं अशासकीय कामकाज के प्रकाशन उपलब्ध है जो विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं।

मंत्रालय पुस्तकालय में लगभग 27669 पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हैं। 1971 के बाद क्रय की गई पुस्तकों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त गजट, रिपोर्ट, सेन्सस, पुराने गजेटियर जैसे इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जजमेन्ट, ए.आई.आर. (A.I.R.), सुप्रीम कोर्ट केसेज, 1997 से अब तक के बजट, समय-समय पर प्रकाशित होने वाले विनियोग लेखे एवं विभागों से आए हुए प्रतिवेदनों का संकलन उपलब्ध है।

- (3) **उप पुस्तकालय -**

मंत्रालय में गजट, मध्य प्रदेश 1956 से 1980, भारत गजट 1956-1980, सेन्सस, इन्साक्लोपिडिया तथा प्राचीन पुस्तकों का संकलन उपलब्ध है। समय-समय पर बाहर से आए हुए शोधार्थियों की मांग पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

- (4) **मंत्रालय पुस्तकालय के अधिनस्थ अभिलेखागार कक्ष -**

पुस्तकालय एवं अभिलेख शाखा के अन्तर्गत दो अभिलेख कक्ष निम्नानुसार है-

- (अ) विन्ध्याचल भवन में विभिन्न विभागों द्वारा 5 साल से अधिक पुरानी नस्तियों को सीधे विन्ध्याचल स्थित अभिलेख कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष की क्षमता दस लाख नस्तियां रखने की है।

(ब) मंत्रालय अभिलेख कक्ष में सेन्ट्रल प्रोविन्सेज के अभिलेख जैसे, महाकौशल स्टेट, विन्ध्य प्रदेश स्टेट, रीवा स्टेट 1918, 1920 से 1956 तक की अवधि के अभिलेख उपलब्ध है। इस अभिलेख कक्ष में शोधार्थियों को शोध की सुविधाएं प्रदान की जाती है। शोधार्थियों से रु. 1500.00 सुरक्षा निधि के रूप में लिए जाते हैं।

(5) मंत्रालय पुस्तकालय का बजट व व्यय -

पुस्तकालय हेतु आयोजना मद में राशि रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख केवल) आवंटित की जाती हैं।

3.24 स्थापना सम्बन्धी कार्य

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(क) मध्यप्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनरीक्षण 2016 के लिए भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, भारत सरकार से इस बारे में जारी अधिसूचना दिनांक 30/12/2016 से भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुल प्राधिकृत संख्या 417 के स्थान पर 439 नियत की गई है। इसमें सीधी भरती के 291 के स्थान पर 306 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्ति के लिए 126 के स्थान पर 133 पद स्वीकृत किए हैं। वर्तमान में सीधी भरती के 240 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त 103 अधिकारी इस प्रकार कुल 343 अधिकारी कार्यरत हैं।

(ख) चयन सूची 2015 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 16/06/2016 को संपन्न कराई गई। भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 और 13/01/2017 से राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 10 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 2016-17 में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के निम्नानुसार पदोन्नति आदेश जारी किए गये:-

आवंटन वर्ष	पदोन्नत अधिकारियों की संख्या	वेतनमान
2013	16	प्रवर श्रेणी वेतनमान
2005, 2006, 2007, 2008	40	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
2004	11	प्रवर श्रेणी वेतनमान

आवंटन वर्ष	पदोन्नत अधिकारियों की संख्या	वेतनमान
2001	06	अधिसमय वेतनमान
1985	07	मुख्य सचिव ग्रेड
1986	04	मुख्य सचिव ग्रेड

- (घ) अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(3) के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले और 50 वर्ष की आयु/25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के प्रकरणों की समीक्षा दिनांक 31 अगस्त, 2016 को संपन्न हुई, इसमें दिनांक 31/12/2015 तक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 43 अधिकारी तथा दिनांक 30/06/2016 तक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 41 अधिकारी तथा दिनांक 31/12/2015 को 50 वर्ष की आयु तथा 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 108 अधिकारी एवं 30/06/2016 तक 50 वर्ष की आयु तथा 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 112 अधिकारियों की समीक्षा की जाकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
- (ङ) प्रथम बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के फोटोयुक्त सेवा इतिहास और सिविल लिस्ट का प्रकाशन कराया गया। प्रथम बार सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की जानकारी विषयक पुस्तिका जारी की गई।
- (च) भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रजल रिपोर्ट) की ई-फाईलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। पीएआर की ई-फाईलिंग को ऑपरेशनल करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) तैयार कराया गया है एवं वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (01/04/2016 से 31/10/2016) के गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रजल रिपोर्ट) ऑन लाईन लिखे जाने के लिए सभी भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के PAR प्रपत्र कम्प्यूटर में तैयार कर संबंधित को प्रेषित किये। निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को समय-समय पर PAR online एवं मैन्युअली भेजकर कर मतांकन की कार्यवाही online पूर्ण की जाकर संबंधित अधिकारी को PAR Disclose किए गए।

- (छ) मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III में 09, मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-IV में 04 और मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-V में 02 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया। इंडक्शन ट्रेनिंग में मसूरी, हैदराबाद, कोलकाता एवं केरल में 24 अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया।
- (ज) राज्य की प्रशिक्षण कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य स्तर से प्रथम बार 69 भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को आई.आई.एम. इन्दौर में “कॉन्टेन्ट मैनेजमेंट” विषय पर और 07 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को आई.आई.एम. कोलकाता में “संचार कौशल, टकराव प्रबंधन एवं निगोशिएशन स्किल्स” विषय पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।
- (झ) वर्ष 2016 में निम्नानुसार उल्लेखनीय कार्य किये गये:-
- (1) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति में कुल 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, इनमें से 20 अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। आलोच्य अवधि में 03 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध जांच लंबित होने से वर्तमान में प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गई है।
 - (2) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में 01 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के प्रकरण निराकृत किये गये तथा 06 प्रस्तावित विभागीय जांच एवं 04 स्पष्टीकरण के प्रकरण निराकृत किये गये। प्रश्नाधीन अवधि में आवंटन वर्ष 1985, 1989, 1998, 1999 एवं 2001 बैच के 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संयुक्त सचिव एवं इसके समकक्ष पदों के लिये इम्पेनलमेंट के संबंध में विजिलेंस क्लीयरेंस की जानकारी भारत सरकार को भेजी गई।
 - (3) 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त प्रायः सभी शिकायतों का यथासमय प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रश्नाधीन अवधि में 140 शिकायतों का निराकरण किया गया।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदों की कुल संख्या 774 है।

1. सीधी भर्ती/पदोन्नति

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद	- 774
कुल स्वीकृत पदों में से पदोन्नति के पद	- 387
कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती के पद	- 387
वर्ष में पदोन्नति से भरे हुए पद	- 281
सीधी भर्ती से भरे पद	- 312

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/शिकायत

कुल प्रकरण	- 122
वर्ष में निराकृत प्रकरण	- 051
वर्ष में कुल 228 शिकायत संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया गया।	

3. न्यायालयीन प्रकरण

कुल न्यायालयीन प्रकरण	- 287
जवाबदावा प्रस्तुत	- 243

4. पेंशन प्रकरण

कुल निराकृत प्रकरण	- 048
--------------------	-------

5. अचल संपत्ति विवरण

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2015 के (31/12/2015 की स्थिति में) विभाग में प्रस्तुत, अद्यतन अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाइट पर दर्ज किया गया। 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन करने की व्यवस्था लागू की गई।

6. क्रमोन्नति

दिनांक 01/01/2016 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक

दिनांक 01/02/2016 एवं 29/11/2016 को संपन्न हुई। उपयुक्त पाये गये अधिकारियों के क्रमोन्नति आदेश निम्नानुसार जारी किये गये :-

1. अधिसमय वेतनमान	01
2. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	23
3. प्रवर श्रेणी वेतनमान	20
4. वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	12

7. पदक्रम सूची

दिनांक 01/04/2016 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया तथा उसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

8. प्रशिक्षण

राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 09 स्तरीय प्रशिक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में लागू की गई। कार्ययोजना के अनुरूप प्रशिक्षणों का आयोजन संपन्न करने हेतु 2.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित किये गये:-

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	लाभान्वित अधिकारियों की अनुमानित संख्या
1.	आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	93
2.	टीम बिल्डिंग प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	432
3.	पीअर प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	75
4.	मिड करियर प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	29
5.	प्रबंधकीय विषयों पर प्रशिक्षण	भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	60
6.	नैतिकता एवं मूल्य संबंधी प्रशिक्षण	आई.सी.सेंटर फॉर गवर्नेंस, पंचगनी	122
7.	इनर इंजीनियरिंग प्रशिक्षण	ईशा फाउन्डेशन, कोयम्बटूर	80
8.	लोक नीति एवं सुशासन विषय प्रशिक्षण	ओ.पी.जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत	30
9.	कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रशिक्षण	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	20

प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 29 अधिकारियों को चतुर्थ मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा गया। यह कार्यक्रम दिनांक 22/08/2016 से 23/09/2016 तक की अवधि में आयोजित हुआ और इसके अंतर्गत प्रशासन अकादमी, भोपाल के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र एवं कोरिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सियोल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2012 एवं 2013 में आयोजित लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित 33 नव नियुक्त डिप्टी कलेक्टर्स का आधारभूत सह-परिचायात्मक प्रशिक्षण वर्तमान में प्रशासन अकादमी में गतिशील है।

सामान्य प्रशासन विभाग “कार्मिक” द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण के संबंध में वर्ष भर में किये गये प्रयासों पर एकाग्र पुस्तिका “प्रशिक्षण से प्रबोधन” का प्रकाशन भी इस वित्तीय वर्ष में किया गया।

9. गोपनीय प्रतिवेदन

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के वर्ष 2015-16 के गोपनीय प्रतिवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु SPARROW जनरेट किया गया। जिसके माध्यम से समस्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्षान्त 2015-16 को PAR Online से प्रस्तुत किया गया है।

10. भर्ती

वर्ष 2016 एवं 2017 के लिए डिप्टी कलेक्टर्स की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव/मांग लोक सेवा आयोग को भेजे गए।

11. पदोन्नति

तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख से उप जिलाध्यक्ष के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19/02/2016 को आयोजित की गई तथा अर्ह 70 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश दिनांक 22/03/2016 को जारी किये गये।

12. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति

चयन वर्ष 2015 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से रिक्तियों को निर्धारण कराया गया और 10 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कर नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की गई।

13. नवाचार/पहल

- (1) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये 09 स्तरीय प्रशिक्षण कार्य योजना लागू।
- (2) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये यूनिक एम्प्लॉई कोड जारी।
- (3) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये अचल संपत्ति विवरण तथा गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन किये गये।
- (4) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की फोटो युक्त यूनिक आई.डी. तथा फोटो युक्त हिस्ट्री बुक तथा सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की जानकारी का प्रकाशन किये जाने का प्रस्ताव है।
- (5) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए राज्य शासन स्तर से आई.कार्ड. निर्मित कर जारी किये गये।

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की सम्पूर्ण स्थापना का कार्य संपादित किया गया है, साथ ही मंत्रालय में गैर सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं माननीय मंत्रीगणों की निजी स्थापना में विशेष सहायक एवं निज सचिव (वरिष्ठ वेतनमान) की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही भी इस कक्ष द्वारा की गई।

1. पदोन्नति

मंत्रालय सेवा के अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, स्टाफ आफीसर, निज सचिव, अनुभाग अधिकारी पदों पर वर्ष 2016 में उपलब्ध होने वाली पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 08/01/2016 को किया गया। उपलब्ध रिक्त पदों पर 01 जनवरी, 2016 से 18 अप्रैल, 2016 तक पदोन्नतियां प्रदान की गईं तत्पश्चात पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से, माह मई, 2016 से पदोन्नति संबंधी कार्यवाही स्थगित है।

2. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की दिनांक 01/04/2016 की स्थिति में पदक्रम सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई।

3. विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण

मंत्रालय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के 10 प्रकरणों में से 06 प्रकरण निराकृत किये गये। शेष 04 प्रकरणों में यथासमय सभी कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

4. न्यायालयीन प्रकरण

वर्तमान में 04 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित हैं, चारों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिनमें आगे सतत कार्यवाही प्रचलित है।

5. पेंशन प्रकरण

वर्ष 2016 (जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक) में कुल सेवानिवृत्त 53 अधिकारियों में से, 50 अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जा चुका है। शेष 03 प्रकरणों के अन्तिम निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

6. चल/अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के (दिनांक 31/12/2016 की स्थिति में) विभाग में प्राप्त अचल सम्पत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाइट पर दर्ज किए जाने की कार्रवाई प्रचलन में है।

7. विभाग द्वारा नवाचार के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के माध्यम से, म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966/सूचना का अधिकार एवं म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 विषय पर 68 अधिकारियों को एक-एक सप्ताह का प्रशिक्षण तथा मेपआईटी द्वारा एनआईसी के माध्यम से ई-व्यवस्था के संबंध में मीटिंग मॉनिटरिंग/ऑनलाईन सी.एल. व्यवस्था विषय पर 30 अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

भविष्य में इस प्रशिक्षण को सम्पूर्ण मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति उपरांत नवीन पद की भूमिका कर्तव्य एवं दायित्व की जानकारी से संबंधित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाकर विविध

विषयों पर एक-एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का ट्रेनिंग मोड्यूल तैयार किया गया।

इसके अलावा प्रथम बार Ethics and Services delivery विषय पर IOC Centre for Governance, Asia Plateau, Panchgani (Maharashtra) में प्रथम बार मंत्रालयीन अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

मंत्रालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य कुशलता और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए मोटिवेशन/स्ट्रेस मैनेजमेंट/स्किल डेवलपमेंट/कम्प्युनिकेशन स्किल डेवलप किए जाने हेतु रिफ्रेशर कोर्स करवाने पर भी ध्यान दिया जाकर उससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। नवाचार के अंतर्गत कार्य की अधिकता होने एवं मानसिक तनावों के चलते वर्क लाईफ में संतुलन स्थापित कर, तनाव मुक्त जीवन जीने तथा निज उर्जा का अधिकतम सकारात्मक एवं रचनात्मक उपयोग करने हेतु “इनर इंजीनियरिंग” शीर्षक से आयोजित, ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

सचिव “कार्मिक” द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत सामान्य प्रशासन विभाग “कार्मिक” के समस्त कक्षों में सफाई अभियान भी चलवाया गया।

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

1. पदोन्नति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत पदों में संभावित रिक्त पदों की गणना कर प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी से दिसम्बर अंत तक संभावित रिक्तियों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर पदोन्नति के योग्य शासकीय सेवकों की सूची तैयार की जाती है। इसी अनुक्रम में वर्ष 2016 में सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-1 के 26, सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 के 20 पदोन्नति हेतु आदेश दिनांक 25/04/2016 तक प्रसारित किये गये हैं।

2. नियुक्ति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में सीधी भरती की कार्यवाही हेतु प्रोफेशनल इग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित कराई जाकर आवश्यकता अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन कर नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 2016 में सीधी भरती के सहायक ग्रेड-3 के कुल 18 पदों (व्यापम से चयनित-05, उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से-

04, तिलहन संघ के सेवायुक्तों के संविलियन से-04 एवं अनुकम्पा नियुक्ति द्वारा-05) एवं शीघ्रलेखक के-01 पद की पूर्ति की गई।

3. कर्मचारियों को प्रशिक्षण

वर्ष 2016 में लेखा प्रशिक्षण हेतु 04 कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण शाला, भोपाल भेजा गया।

4. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01/04/2016 की स्थिति में पदक्रम सूची बनाकर वेबसाइट पर जारी की गई।

5. पंजी संधारण एवं महत्वपूर्ण कार्य

मंत्रालय के कर्मचारियों के बैंक लोन से संबंधित 103 प्रकरण बैंक को अग्रेषित किये गये। सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर 303 परिपत्र अपलोड किये गये। मंत्रालय के तृतीय श्रेणी के 10 कर्मचारियों के ई-मेल आई.डी. जनरेट किये गये तथा मंत्रालय के 48 कर्मचारियों को वाई.फाई. कनेक्टिविटी प्रदाय की गई।

6. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण

वर्ष 2016 में दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016 तक की अवधि में कुल 29 पेंशन प्रकरण हैं। माह दिसम्बर तक 29 पेंशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया।

7. चल-अचल संपत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों के दिनांक 31/12/2016 में प्रस्तुत अद्यतन स्थिति में अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की गई।

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ श्रेणी - स्थापना)

1. सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना, मंत्रालय की साफ-सफाई, देख-रेख/रख-रखाव तथा मशीन उपकरण एवं स्टेशनरी/फर्नीचर के क्रय संबंधी आदि कार्य, मंत्रीगण/अधिकारीगण के कक्षों की

साज-सज्जा, सिविल/विद्युत/जल/सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

2. मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 635 पद स्वीकृत हैं।
3. वर्ष 2016 में मंत्रालय में म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ मर्या. के 03 सेवायुक्तों का भृत्य के पद पर संविलियन किया गया है।
4. वर्ष 2016 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 16 कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं 04 कर्मचारी दिवंगत हुए। जिनमें 19 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।
5. मंत्रालय के नियमित एवं मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्रीगणों की निजी स्थापना में पदस्थ अस्थाई चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों का सेवा सत्यापन किया गया एवं जुलाई, 2016 में वार्षिक वेतनवृद्धि दी गई।
6. वर्ष 2016 में मंत्रालय में पदस्थ नवनियुक्त 05 भृत्यों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
7. वर्ष 2016 में 10 चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
8. वर्ष 2016 में मंत्रालय के भा.प्र.से./अधिकारियों एवं शासकीय सेवकों-तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के 1073 स्थाई मंत्रालय प्रवेश पत्र बनाये गये।
9. मध्यप्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में वर्ष 2015-16 में आयोजित कमिश्नर/कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हुआ।
10. 02 अक्टूबर, 2016 को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो निरंतर जारी है।
11. मध्यप्रदेश स्थापना दिवस (01 नवम्बर, 2016) समारोह पर माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल पार्क में कार्यक्रम का सफल आयोजन।
12. आतंकवादी हिंसा में मारे गये परिवार के बच्चों की सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर मंत्रालय में दिनांक 19-25 नवम्बर, 2016 में साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया, जिसमें दान स्वरूप प्राप्त राशि रूपये 21,415/- साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई।
13. प्रतिमाह वंदे मातरम् गान का आयोजन किया जाना।

निम्नलिखित शपथ कार्यक्रम सम्पन्न कराये:-

1. दिनांक 25/01/2016 को मतदाता दिवस ।
2. दिनांक 30/01/2016 को शहीद दिवस ।
3. दिनांक 21/05/2016 को आतंकवाद विरोध दिवस ।
4. दिनांक 20/08/2016 को सांप्रदायिक सद्भाव दिवस ।
5. दिनांक 31/10/2016 को राष्ट्रीय एकता दिवस ।
6. दिनांक 01/11/2016 को मध्यप्रदेश संकल्प दिवस (स्थापना दिवस) ।
7. दिनांक 19/11/2016 को राष्ट्रीय अखण्डता दिवस ।
8. दिनांक 26/11/2016 को संविधान दिवस ।
9. दिनांक 10/12/2016 को मानव अधिकार दिवस ।
10. दिनांक 24/12/2016 को सुशासन दिवस ।

4. विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में दो सदस्य एवं एक अध्यक्ष के पद भरे हैं।
- (2) वर्ष 2016 में आयोजित परीक्षाएँ एवं सीधे साक्षात्कार द्वारा किये गये चयन:-

स.क्र.	प्रतियोगी/लिखित परीक्षा का नाम	पद संख्या	परीक्षा में उपस्थित की संख्या	सफल उम्मीदवारों की संख्या	साक्षात्कार में आमंत्रित की संख्या	चयनित उम्मीदवारों की संख्या
1.	राज्य सेवा परीक्षा-2012	400			1206	397
2.	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013	755	9591	2270	2242	743
3.	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014	576	7502	1734	1722	560
4.	राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2014	371	16661	5191	-	06/01/2016
5.	राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2014	-	3688	842	परिणाम घोषित 12/08/2016	साक्षात्कार जारी है
6.	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2015	462	199117	7092	-	परिणाम घोषित 01/03/2016
7.	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015	-	6089	1244	-	परिणाम घोषित 30/08/2016
8.	राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016	278	17289	4008	-	-
9.	राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2016	-	-	-	-	21 एवं 22 दिसम्बर को 7 जिलों में आयोजित की गई
10.	राज्य वन सेवा परीक्षा-2014	123	17957	369	302	122
11.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा-2016	492	599	549	-	-
12.	विकासखंड अधिकारी परीक्षा-2016	71	532	227	-	-
13.	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016	255	154657	4462	-	परिणाम घोषित 09/07/2016

स.क्र.	प्रतियोगी/लिखित परीक्षा का नाम	पद संख्या	परीक्षा में उपस्थित की संख्या	सफल उम्मीदवारों की संख्या	साक्षात्कार में आमंत्रित की संख्या	चयनित उम्मीदवारों की संख्या
14.	सहायक जिला लोक अभियोजन परीक्षा-2015	251	12511	-	-	परिणाम घोषित 06/08/2016
15.	सहायक कृषि यंत्री-2013	04	153	13	13	04
16.	खनि अधिकारी	06	295	19	19	05
17.	सहायक भौमिकीविद	10	186	34	34	09
18.	दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा	50	1764	124	113	50

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां :-

1. आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को छोड़कर सभी परीक्षाएँ जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की है को ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के तहत किये जाने के निर्णय के परिपालन में ऑनलाईन परीक्षा प्रारंभ की जा चुकी है। राज्य सेवा परीक्षा को छोड़ अन्य सभी परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाईन किया जा रहा है।
 2. आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में वर्षों से प्रचलित ऐच्छिक विषयों की प्रचलित परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर सभी अनिवार्य विषयों के साथ नवीन परीक्षा प्रणाली एवं नवीन पाठ्यक्रम तैयार कराया जाकर लागू किया गया।
 3. आयोग द्वारा तकनीकी स्तर के पदों हेतु नवीन संयुक्त परीक्षा “राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा” योजना एवं पाठ्यक्रम निर्धारित कर लागू किया गया एवं परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
- (4) परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिये आयोग द्वारा निम्नांकित कार्यवाही प्रारंभ की गई है:-
1. परीक्षार्थियों को ओ.एम.आर. शीट प्रदान करना।
 2. ऑनलाईन परीक्षा के उपरांत आवेदकों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. एवं आयोग की वेबसाइट पर आवेदकों को रिस्पांस शीट उपलब्ध कराना।
 3. परीक्षा समाप्ति उपरांत मॉडल आन्सर की वेबसाइट पर अपलोड करना।
- (5) ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं:-
1. Exam Management System - परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात ऑनलाईन रिपोर्टिंग सबमिट करने की व्यवस्था।

2. DPC - शासन के विभिन्न विभागों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की कार्यवाही को वेबवेस्ट डी.पी.सी. सॉफ्टवेयर के माध्यम से डी.पी.सी. के प्रस्ताव प्राप्त करना, ग्रेडिंग करना एवं डी.पी.सी. की कार्यवाही पूर्ण करना।
3. Court Case Management - आयोग के विरुद्ध न्यायिक याचिकाओं के त्वरित प्रबंधन हेतु कोर्ट केस मैनेजमेंट साफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है जिसके माध्यम से न्यायालयीन प्रकरणों का व्यवस्थित मैनेजमेंट कार्य संपादित किया जा सकेगा।
4. Demand Letter - शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले मांग पत्रों को प्राप्त करने हेतु डिमांड लेटर साफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है जिसके माध्यम से डिमांड लेटर ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे एवं ऑनलाईन ही पत्राचार के माध्यम से query की दशा में उनका निराकरण त्वरित किया जा सकेगा।

4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

परिचय

अकादमी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई। तत्समय इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान था। संस्थान को वर्ष 1975 में वर्तमान परिसर में स्थानांतरित किया गया। वर्ष 2001 में दिनांक 11/10/2001 से इसका नाम आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश रखा गया है। राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्मित इस संस्थान को मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 1987 में प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी घोषित किया गया। राज्य की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था होने से यह मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के लिये प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 1992 में ओवरसीज डेवलपमेंट अथॉरिटी यू.के. तथा भारत सरकार के तत्वावधान में प्रायोजित “प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण” एवं “जेण्डर प्लानिंग” प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अकादमी क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत यह मध्यप्रदेश के अतिरिक्त कुछ राज्यों के प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। मार्च 1994 में इसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में अकादमी को भारत सरकार ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की श्रेष्ठ कार्य योजना के लिये भी सम्मानित किया है। वर्ष 2003-04 में इसे आई. एस. ओ. 9001-2001 प्रदान किया गया था। वर्तमान में भी पुनः अकादमी में वर्ष 2015-16 में आई.एस.ओ. 9001-2008 प्राप्त किया गया है।

लक्ष्य

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना, जो शिक्षा और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है।
- प्रशिक्षण के क्षेत्र में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना।
- समस्त लोक सेवकों के लिये दूरस्थ प्रशिक्षण पद्धति सहित, विविध पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसायिक दक्षता एवं नैतिकता के उच्च मापदण्डों को प्रोत्साहित करना है।
- प्रशिक्षणार्थियों को इस योग्य बनाना, कि वे समाज को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे सकें।

उपलब्धियां

अकादमी द्वारा वर्ष 2015-2016 में 303 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिसमें 9,997 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है एवं वर्तमान में वर्ष 2016-17 में दिनांक 13 जनवरी, 2017 तक 206 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिसमें 6,882 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

नरोन्हा स्मृति विधिकी निर्माण

अकादमी में इस वर्ष पद्म भूषण स्वर्गीय श्री आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा की जन्मशति वर्ष के अवसर पर “नरोन्हा विधिकी” का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 15/05/2016 को किया गया है।

स्वर्ण जयंती सभागार का निर्माण

अकादमी परिसर में अक्टूबर, 2016 में 500 सीटर सभागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। अकादमी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस सभागार का नाम स्वर्ण जयंती सभागार रखा गया है।

प्रशासन अकादमी में उपलब्ध अधोसंरचना

43 एकड़ के अकादमी परिसर में प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस एवं सेमीनार आयोजन की समुचित व्यवस्था है। भवन में कार्यालयीन कर्मचारियों, ग्रंथालय, संकाय सदस्यों के कक्षों के अतिरिक्त 11 व्याख्यान कक्ष, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक मिनि कॉन्फ्रेंस हॉल, एक ऑडिटोरियम, एक मिनि थियेटर, चार कम्प्यूटर लेब एवं एक आधुनिक क्लास रूम है। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में अकादमी परिसर में 104 बेडेड आधुनिक छात्रावास एवं टेबल टेनिस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

निःशक्तजनों की सुविधा के लिये प्रशासनिक भवन में बाधा रहित रैम्प, दो बाधा रहित टायलेट (महिला एवं पुरुष) का निर्माण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान हेतु आमंत्रित व्यख्याताओं एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिये परिसर में सात विशेष अतिथि कक्ष आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों के लिए 181 (299 बेडेड) कमरों वाला वातानुकूलित सामान्य अतिथि भवन है।

अकादमी के पास एक व्यवस्थित लायब्रेरी है जिसमें लगभग 36,000 पुस्तकों के अतिरिक्त 336 सी.डी./डी.वी.डी. हैं। ग्रंथालय में राष्ट्रीय एवं स्थानीय 20 समाचार पत्र एवं 65 पत्रिकाएं नियमित रूप से आते हैं। वर्तमान में ग्रंथालय कार्य प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड करने हेतु ग्रंथालय में ई-लिब सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है।

अकादमी में स्थापित विशिष्टीकृत केन्द्र/परियोजना/प्रकोष्ठ

अकादमी में भारत सरकार तथा राज्य सरकार की सहायता से विशिष्ट विषयों पर संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये है जो संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, शोध, प्रचार-प्रसार साहित्य निर्माण आदि कार्य करते है। वर्तमान में स्थापित केन्द्र निम्नानुसार है:-

क्र.	केन्द्र/परियोजना/सोसायटी का नाम
1.	सूचना का अधिकार हेतु क्षमता संवर्धन परियोजना
2.	सभी के लिये प्रशिक्षण परियोजना
3.	मध्यप्रदेश महिला संसाधन केन्द्र
4.	सेटकाम केन्द्र तथा एड्यूसेट स्वान परियोजना
5.	विश्व व्यापार संसाधन केन्द्र
6.	स्पोर्ट्स कल्चर एवं यूथ वेलफेयर सोसायटी
7.	ज्ञान प्रबंधन एवं सुशासन केन्द्र
8.	हुडको चेयर
9.	नेशनल लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन परियोजना
10.	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट)
11.	सेवोत्तम प्रकोष्ठ
12.	स्वामी विवेकानन्द पीठ

अकादमी में स्वीकृत पदों की संख्या

क्र.	श्रेणी तथा उसके अंतर्गत पदनाम	कुल स्वीकृत पद
1.	प्रथम श्रेणी	16
2.	द्वितीय श्रेणी	06
3.	तृतीय श्रेणी	50

क्र.	श्रेणी तथा उसके अंतर्गत पदनाम	कुल स्वीकृत पद
4.	चतुर्थ श्रेणी नियमित	19
5.	आकस्मिकता निधि	26
6.	दैनिक वेतन भोगी	17

मंथन का आयोजन

“मंथन” शासन के शीर्ष स्तर के नीति निर्धारक एवं मैदानी अधिकारियों के बीच समग्र रूप से संवाद और विचार-विमर्श और उस पर चिंतन करने की प्रक्रिया है, ताकि शीर्ष स्तर पर कार्यक्रम एवं नीति निर्धारण के समय मैदानी हकीकत को समाहित किया जा सके। साथ ही मैदानी अमले को योजना/कार्यक्रम का सही स्वरूप ज्ञात हो सके, जिससे कि विभिन्न नीतियों/योजनाओं के और भी बेहतर एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकें।

राज्य शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन करने के लिये समग्र रूप से विचार-विमर्श हेतु दिनांक 27-28 सितम्बर, 2014 तक की अवधि में 2 दिवसीय राज्यस्तरीय मंथन-2014 का सफलतापूर्वक आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रशासन अकादमी, भोपाल के द्वारा किया गया।

4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग का कार्य, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन द्वितीय अपीलों की सुनवाई करना एवं वर्षान्त में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना है।

आयोग को वर्ष 2016-17 के लिए रूपये 436 लाख का बजट आवंटित है।

वर्तमान में म.प्र. राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 03 सूचना आयुक्त हैं।

राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की जानकारी

क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक	निराकृत आवेदनों संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक
1	404	384

राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील आवेदन प्राप्त एवं निराकृत की जानकारी :-

क्र.	प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक	निराकृत प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक
1	51	49

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत अपीलों की जानकारी:-

क्र.	प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक	निराकृत द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक
1	5017	4938

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी:-

क्र.	प्राप्त आवेदनों की संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक	पिछले वर्षों के लंबित आवेदन पत्रों सहित निराकृत आवेदनों संख्या दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक
1	737	1334

4.4 लोकायुक्त संगठन

भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये राज्य शासन द्वारा 1 मार्च, 1964 को राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया, जिसे समाप्त कर दिनांक 14/02/1982 को लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (4) के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा प्रतिवर्ष संपादित कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016 तक निष्पादित कार्य के संबंध में संक्षिप्त टीप एवं आंकड़ों सहित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016 तक संगठन में कुल 5008 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें से 906 शिकायतें जांच हेतु पंजीबद्ध की गई है तथा संगठन में उक्त अवधि में 3848 शिकायतें नस्तीबद्ध की गई एवं 254 शिकायतें आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग को भेजी गई।

2. संगठन में उक्त अवधि में 06 प्रकरणों में विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।
3. शासन के विभिन्न विभागों से 98 प्रकरणों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर दण्डित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त अवधि में 252 प्रकरण समाप्त किये गये। संगठन की पहल पर शिकायत एवं जांच शाखा एवं तकनीकी शाखा में रूपये 13,81,03,607/- राशि की वसूली किये जाने हेतु आदेश शासन द्वारा जारी किये गये।
4. दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016 तक की अवधि में 311 ट्रेप प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। इसके अतिरिक्त छापे के कुल 21 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा पद के दुरुपयोग के संबंध में 70 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। उक्त अवधि में कुल 402 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। वर्ष 2016 में 21 छापों के प्रकरणों में लगभग रू. 42.37 करोड़ की संपत्ति प्रथम दृष्टया उजागर हुई।
5. इस अवधि में 402 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किये गये तथा विभिन्न माननीय विशेष न्यायालयों द्वारा 138 प्रकरणों में दण्डादेश पारित किया गया। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति का परिचायक है।

4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ

भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्टाचार की जांच की जाती है। प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016 तक पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

अपराध			योग	प्रारंभिक जांच		शिकायत	
पंजीबद्ध	चालान/ पूरक चालान	खात्मा		पंजीबद्ध	निराकरण	पंजीबद्ध	निराकरण
57	23	03	26	47	18	262	62

4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन द्वारा निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का स्तर तथा लागत व्यय को स्वीकार योग्य मापदण्ड के अनुरूप रखे जाने के संबंध में कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति में जांच प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	नवीन प्रकरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	गंभीर प्रकरण	लंबित गंभीर प्रकरण	निराकृत गंभीर प्रकरण	शिकायत निराकृत	लंबित शिकायत	वसूली राशि (लाख में)
1.	103	1675	13	05	05	00	15	12	248.09

संगठन द्वारा वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2016-17 के चालू वर्ष में प्राप्त रूपये 471.52 लाख के विरुद्ध कुल रूपये 275.64 लाख का व्यय किया गया। संगठन में 27 पद रिक्त होने के कारण वेतन भत्ते के मद में कम व्यय हुआ है।

4.7 विभागीय जांच आयुक्त

राज्य शासन के अधीन पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त विभागीय जांच का गठन किया गया है। उक्त पद पर न्यायिक सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	01 जनवरी, 2016 को पूर्व से प्रचलित लंबित प्रकरणों की संख्या	29
2.	31 दिसम्बर, 2016 तक प्राप्त नये प्रकरणों की संख्या	02
3.	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	31
4.	31 दिसम्बर, 2016 तक निराकृत/वापिस किये गये प्रकरणों की संख्या	07
5.	शेष बचे प्रकरणों की संख्या	24

4.8 आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली

(1) मध्यप्रदेश भवन का पुर्ननिर्माण

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन के पुर्ननिर्माण के निर्णय के अनुक्रम में पुनरीक्षित एफ.ए.आर. ग्राउंड कवरेज और बिल्डिंग हाईट के मानदण्डों के अनुसार तथा शासन की इच्छानुसार, वर्तमान भवन के प्लाट पर प्रदेश की गरिमा के अनुसार भव्य और सर्वसुविधायुक्त इमारत का डिजाइन सुधरवाकर बनवाया गया, जिसमें बड़े साईज़ के कमरे, चौड़ी गैलेरीज़, डबल हाईट ऐंट्रेंस लॉबी विद ओपन स्टेयरकेसेज़, खुले आंगन आदि का प्रावधान किया गया।

इसके साथ ही, चूंकि वर्तमान मध्यप्रदेश भवन का भूखण्ड छोटा (मात्र 0.89 एकड़) है तथा गौमुखाकार है और चूंकि भवन के विखंडित रहने की अवधि में प्रदेश से दिल्ली आकर भवन में ठहरने वाले अनेक अतिथियों को अत्याधिक तकलीफ होनी संभावित रहेगी, अतः शासन की मंशा अनुसार, दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय के निकटवर्ती क्षेत्र (चाणक्यपुरी) में मध्यप्रदेश के नए राज्य अतिथिगृह के निर्माण के लिए उचित वैकल्पिक भूमि आवंटित कराने के लिए भारत सरकार में सघन अनुसरण की प्रक्रिया प्रचलन में है।

(2) मध्यलोक का निर्माण

मुम्बई नगर के वाशी, नवी मुम्बई क्षेत्र में राज्य के अतिथिगृह “मध्यलोक” की सिविल संरचना का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा वातानुकूलन, लिफ्ट, आंतरिक साज-सज्जा, फिनिशिंग और फर्निशिंग आदि के कार्य प्रगति पर हैं।

इसके अतिरिक्त, मुम्बई में संयुक्त आवासीय आयुक्त एवं उप आवासीय आयुक्त की पदस्थापना शासन से हुई है, जिससे वहां के प्रशासनिक प्रबंध अधिक सुदृढ़ हुए हैं।

(3) प्रदेश के विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था

माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के दिल्ली भ्रमण के दौरान उनकी कारकेड और सुरक्षा प्रबंधों को पुनरीक्षित और अपग्रेड किया गया। कारकेड में नए और उपयुक्त शासकीय वाहनों और वाहन चालकों की उपलब्धता विशेष प्रयासों से सुनिश्चित की गई। राज्य के विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर सहयोग और इंटेलिजेंस के लिए संपर्क और अनुसरण किया गया।

(4) मध्यांचल के पास अतिरिक्त भूमि

मध्यांचल के पीछे खाली पड़े लगभग 1100 वर्ग मीटर भूखण्ड को मध्यांचल भूखण्ड में समायोजित करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु दि.वि.प्रा. की स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है एवं औपचारिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है।

(5) प्रशासनिक सुधार

मध्यप्रदेश भवन और मध्यांचल की साफ सफाई, मरम्मत/रखरखाव पर विशेष ध्यान देकर इन भवनों की प्रशासनिक और सत्कार की व्यवस्थाओं में सुधार लाया गया, तथा यह प्रक्रिया निरंतर रखी गई। इस अनुक्रम में पुरानी अनुपयोगी सामग्रियों के अपलेखन और नीलामी की कार्यवाहियां भी प्राथमिकता पर की गई जिससे मूल्यवान अतिरिक्त क्षेत्र बेहतर प्रयोजनों के लिए उपलब्ध हुआ। साथ ही, दोनों भवनों के स्टाफ को साफ सफाई, रखरखाव और सत्कार के अनेक बिन्दुओं पर छोटे-छोटे आंतरिक प्रशिक्षण दिए गए तथा एसओपीज़ तैयार कराकर क्रियान्वित कराए गए जिसके परिणाम समक्ष आए हैं।

मध्यांचल के कतिपय कक्षों और क्षेत्रों के उन्नयन के लिए कार्यवाही की गई।

कार्यालय में पुराने माईलेज पूरी कर चुके वाहनों का अपलेखन कर उनकी नीलामी हेतु कार्यवाही की गई। साथ ही, शासन की अनुमति के अनुसार इनके विरुद्ध

नए वाहनों का प्रबंध किया जा रहा है। दोनों भवनों में कैश-फ्री ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था भी प्रारम्भ कर दी गई है तथा इसे भविष्य में और बढ़ाया जाएगा।

(6) मध्यप्रदेश के लिए राज्य के बाहर से धनराशि उपलब्ध कराई जाना और राज्य के मुद्दों का केन्द्र में अनुसरण

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राज्य के मुद्दों पर अनुसरण और समन्वय का कार्य सुनियोजित तरीके से प्राथमिकता पर किया गया।

इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य की ओर 31 दिसम्बर, 2016 तक चालू वित्त वर्ष के पहले 09 महीनों में रू. 60,620 करोड़ की कुल राशि विमुक्त हुई, जो गत सभी वर्षों के बारहों महीनों में राज्य की ओर से विमुक्त हुई कुल राशियों से अधिक है। इस योग में बजटेटेड राशियों, बाह्य सहायता प्राप्त परियाजनाओं और केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के साथ-साथ नागरिक आपूर्ति निगम, प्रमं फसल बीमा योजना, नाबार्ड, कैम्पा, राष्ट्रीय राजमार्ग और केन्द्रीय सड़क निधि आदि की राशियां भी सम्मिलित हैं, जिन्हें विशेष अनुसरण करके प्राप्त किया गया है।

[वर्ष 2014-15 के 12 महीनों में रू.44,389.29 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 के 12 महीनों में रू.59,370.29 करोड़ राज्य को भारत सरकार से अंतरित हुए थे। (स्रोत- वित्त मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन की शासकीय वेबसाइट)]

इस प्रकार, वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 में रू.6,735 करोड़ से अधिक प्रतिमाह की औसत से राशि प्रदेश के लिए विमुक्त हुई, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में विमुक्त हुई राशि की मासिक औसत रू.3,700 करोड़ से कम और वर्ष 2015-16 में रू.4,950 करोड़ से कम थी। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश के लिए कम से कम रू.75,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां केन्द्र सरकार से जारी कराने और उनसे संबंधित राशियां विमुक्त कराने का लक्ष्य आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली द्वारा अपने लिये तय किया गया है।

(7) प्रमुख आयोजन

इस वर्ष निम्न प्रमुख आयोजन हुए:-

क. मध्यांचल में इंडिया पालिसी फाउण्डेशन के अंतर्गत “इंडो-नेपाल रिलेशन” विषय पर दिनांक 26-27 मार्च, 2016 को सफलतापूर्वक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के गृहमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, नेपाल और भारत के एक दूसरे के देशों में राजदूतों के साथ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, चुनाव आयुक्त आदि विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया।

ख. मध्यांचल में अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय की मध्य क्षेत्रीय परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04/08/2016 को मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

- ग. मध्यांचल में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन के अंतर्गत दिनांक 07 से 09 नवम्बर, 2016 तक बैठक/कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें माननीय सड़क परिवहन केन्द्रीय राज्य मंत्री के साथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उपस्थित थे।
- घ. दिल्ली में लाल किले पर जनवरी में और राजपथ पर अगस्त में भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत पर्वों में राज्य सरकार की भागीदारी रही। अगस्त के भारत पर्व में राज्य के सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतिकरण किए और हस्तशिल्प, हथकरघा और खानपान के स्टाल लगे।
- ङ. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2016 में राज्य की प्रशंसनीय उपस्थिति रही तथा मध्यप्रदेश पार्टनर स्टेट रहा।
- च. माननीय मुख्यमंत्री, केन्द्र सरकार के मान. स्वास्थ्य मंत्री एवं मान. स्वास्थ्य राज्य मंत्री, राज्य सरकार के मान. स्वास्थ्य मंत्री तथा मध्यप्रदेश के कई माननीय सांसदों की उपस्थिति में दिल्ली में कार्यरत प्रतिष्ठित चिकित्सकों की सेवाएँ मध्यप्रदेश के हितों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक रात्रि भोज का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पहल की चिकित्सकों ने काफी प्रशंसा की एवं प्रायः चिकित्सकों द्वारा इस उद्देश्य हेतु अपनी सेवाएं राज्य के लिए प्रदान करने हेतु सहमति दी गई।

4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

वर्ष 2016-2017 में म.प्र. मानव अधिकार आयोग को 01/04/2016 से 31/12/2016 तक कुल 7440 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा दिनांक 31/12/2016 तक 6370 शिकायतें/प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

प्रशासन एवं जनता में मानव अधिकारों के प्रति संवेदना जागृत हो, इस हेतु आयोग समय-समय पर आवश्यकतानुसार सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं सभाओं का विशेष आयोजन करता है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ संचालन स्कीम में राज्य के जिला, तहसील और विभिन्न महानगरों में आयोग मित्र समिति तथा जिला स्तर पर आयोग मित्रों का मनोनयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2016 तक राज्य के 45 जिलों में जिला संयोजक (आयोग मित्र) मनोनीत किये गये हैं। ये आयोग मित्र आयोग के मानसेवी सहयोगी हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 में माह जून, 2016 एवं माह दिसम्बर, 2016 में इंटर्नशिप के दो सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के विधि विषय के विद्यार्थी, नियमित पढ़ाई करते हुए इंटर्नशिप/प्रोजेक्ट वर्क के लिये आयोग के इन सत्रों में 65 विद्यार्थियों ने भाग लेकर सफलतापूर्वक कार्य किया।

आयोग द्वारा मासिक न्यूज लेटर एवं त्रैमासिक “मानव अधिकार पत्रिका” का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है।

4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकायों तथा पंचायतों को स्थानीय शासन की सक्षम एवं सशक्त इकाईयाँ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन किये गये हैं। इन इकाईयों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इन संशोधनों में किया गया है। इन प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 1994 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 के खण्ड (k) में की गई अपेक्षा के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-01/2006/1/4 दिनांक 17 सितम्बर, 2013 द्वारा श्री आर.परशुराम, सेवानिवृत्त, भा.प्र.से. (म.प्र. 1978) को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 01/10/2013 को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

आयोग के कार्य संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-129/1999/1/4 दिनांक 30 जनवरी, 2014 द्वारा आयोग की पदस्थापना में स्वीकृत 70 अस्थाई पदों को स्थायी करने की सहमति प्रदान की गई है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-40/2015/1/4 दिनांक 10/07/2015 द्वारा 24 स्थाई पदों का सृजन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-32/2004/1/4 दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 21 अस्थाई पद तथा जिला स्तर पर लिए 176 अस्थाई पद इस प्रकार कुल 197 अस्थाई पद का प्रवर्तन दिनांक 28/02/2017 तक किया गया है।

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने हेतु आयोग मुख्यालय का लोक सूचना अधिकारी उप सचिव को तथा अपीलीय अधिकारी सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पदाभिहित किया गया है तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) में जिले में पदस्थ उप जिला निर्वाचन अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत आयोग के निम्नलिखित दायित्व हैं:-

1. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करना।

2. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण।
3. इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-24 में संशोधन के फलस्वरूप अब किसी नगरपालिक निगम के महापौर अथवा किसी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से वापस बुलाये जाने हेतु मतदान कराया जाता है। उक्त मतदान भी आयोग के दायित्वों में सम्मिलित किया गया है।
4. मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के उप सरपंच, जनपद पंचायत/जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2016 (पूर्वाब्द) में नगरपालिका परिषद मैहर जिला सतना के लिए 01 अध्यक्ष, 24 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् मंडीदीप जिला रायसेन के लिए 01 अध्यक्ष, 26 पार्षदों तथा नगर परिषद् ईसागढ़ जिला अशोकनगर के लिए 01 अध्यक्ष, 15 पार्षद पदों के माह जुलाई 2016 में निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं।

31 मई, 2016 की स्थिति में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन 2016(पूर्वाब्द) में 10 पार्षद पदों के माह अगस्त 2016 में निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं।

30 सितम्बर, 2016 की स्थिति में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन 2016 (उत्तराब्द) में 07 पार्षद पदों के माह दिसम्बर, 2016 में निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं।

इस प्रकार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2016 में 03 अध्यक्ष एवं 65 पार्षद पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं।

नगरीय निकायों के उप निर्वाचन पूर्वाब्द एवं उत्तराब्द 2016 में कुल 17 पार्षद पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

आयोग द्वारा अनूपपुर जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक 11/01/2016 को सम्पन्न कराया गया।

जिला-मन्दसौर की जनपद पंचायत गरोठ के अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन दिनांक 15/01/2016 को सम्पन्न कराया गया।

अध्यक्ष जिला पंचायत बैतूल के रिक्त पद का निर्वाचन दिनांक 27/06/2016 को सम्पन्न कराया गया।

मण्डला जिले की जनपद पंचायत मवई के 16 सदस्यों एवं 52 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन जुलाई, 2016 संपन्न कराये गये:-

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
1.	सदस्य, जनपद पंचायत	16
2.	पंच, ग्राम पंचायत	796
3.	सरपंच ग्राम पंचायत	52

मण्डला जिले की जनपद पंचायत मवई के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक 30 जुलाई, 2016 एवं 52 ग्राम पंचायतों में उप सरपंचों का निर्वाचन दिनांक 04 अगस्त, 2016 को सम्पन्न कराया गया।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2016 (पूर्वाब्द) के अंतर्गत माह अगस्त-सितम्बर, 2016 में निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये:-

स.क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	पंच, ग्राम पंचायत	7403
2.	सरपंच, ग्राम पंचायत	98
3.	सदस्य, जनपद पंचायत	16
4.	सदस्य, जिला पंचायत	01

उक्त निर्वाचन में तीन ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन भी सम्मिलित है।

जिला-अशोकनगर की जनपद पंचायत ईसागढ़ की ग्राम पंचायत गहोरा एवं डेंगा मोहचार के उप सरपंच के निर्वाचन दिनांक 06/09/2016 को सम्पन्न कराये गये।

जिला-पन्ना की जनपद पंचायत अजयगढ़ की ग्राम पंचायत बहादुरगंज के उप सरपंच का निर्वाचन दिनांक 19/09/2016 को सम्पन्न कराया गया।

जिला-रायसेन की जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज के रिक्त अध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांक 22/09/2016 को सम्पन्न कराया गया।

जिला-भोपाल की जनपद पंचायत बैरसिया के रिक्त अध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांक 27/09/2016 को सम्पन्न कराया गया।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष-2016 (उत्तरार्द्ध) के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2016 (प्रथम चरण) में निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये:-

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
1	पंच, ग्राम पंचायत	6593
2	सरपंच ग्राम पंचायत	88

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
3	सदस्य, जनपद पंचायत	08
4	सदस्य जिला पंचायत	01

उक्त निर्वाचन में 32 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन भी सम्मिलित हैं।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष-2016 (उत्तरार्द्ध) के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2016 (द्वितीय चरण) में निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये:-

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
1	पंच, ग्राम पंचायत	327
2	सरपंच ग्राम पंचायत	21
3	सदस्य, जनपद पंचायत	01
4	सदस्य जिला पंचायत	--

उक्त निर्वाचन में 16 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन भी सम्मिलित हैं।

13 जिलों की 48 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का निर्वाचन दिनांक 09/01/2017 को सम्पन्न कराया गया।

अन्य:-

1. आयोग द्वारा वर्ष-2016 में प्रथमवार ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में सतत् पुनरीक्षण करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अब प्रत्येक वर्ष भारत निर्वाचन आयोग की भांति आयोग द्वारा भी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में सतत् पुनरीक्षण करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके पूर्व आयोग द्वारा (1) पंचायतों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति (2) किसी पंचायत में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उप निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती थी।
2. आयोग द्वारा प्रथमवार नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2016 (उत्तरार्द्ध) में ऑनलाईन इन्टीग्रेटेड एप्लिकेशन का उपयोग किया गया है। इस एप्लिकेशन के दो भाग IEMS(Integrated Election Management System) एवं IPIS(Integrated Poll Information System) है।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल ऑफिसर (IEMS) एवं पीठासीन अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका भाग-1 से लेकर भाग-3 तक तैयार की गई है। भाग-1, निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने से संबंधित है। भाग-2, मतदान दल और मतदान से सम्बंधित सूचनाओं का

सम्प्रेषण से संबंधित है। भाग-3, मतों की गणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा से संबंधित है।

4. आयोग द्वारा प्रथमवार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-38(3) के तहत विहित प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। संशोधित नवीन प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों का वर्णक्रम का निर्धारण उनके अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabet) के अनुसार किया जायेगा। इसी प्रक्रिया के अनुसार ही पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2016 (उत्तरार्द्ध) माह दिसम्बर, 2016 में सम्पन्न कराये गये हैं।

ई.व्ही.एम. संबंधी जानकारी

1. आयोग द्वारा ई.सी.आई.एल., हैदराबाद से 54,000 कंट्रोल यूनिट एवं 1,62,000 बैलेट यूनिट का क्रय किया गया है।
2. इस ई.व्ही.एम. से एक साथ आठ पदों का निर्वाचन किया जा सकता है। इस कारण यह बहुपद एवं बहुस्थान (Multipost and Multiseat) के निर्वाचन हेतु उपयोग में लाया जाने वाली ई.व्ही.एम. है।
3. आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे ई.व्ही.एम. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु उपयोग की जा रही ई.व्ही.एम. से पूर्णतः पृथक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल (डी.एम.एम.) है।
4. प्रत्येक निर्वाचन के बाद सीयू में से डीएमएम निकालकर सील करने की कार्यवाही की जाएगी तथा नया डीएमएम लगाकर उसे अगले निर्वाचन के चरण हेतु उपयोग में लिया जाएगा।
5. इस मशीन में निम्नलिखित अन्य विशेषताएं भी हैं:-

- यूनिक/अद्वितीय क्रम संख्या
- रियल टाइम क्लॉक (आर.टी.सी.)
- समय मुद्रांकन
- टाइम लॉगिंग
- अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले
- वार्ड क्रमांक एवं मतदान केन्द्रों का क्रमांक
- टैंपर संसूचक
- लेजर मार्किंग
- पी.सी.बी. का संस्थापन
- पॉटिंग
- बैटरी पावर स्टैटस

- प्रिंट
- ब्रैली

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य के साथ यह यात्रा शुरू की है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी हितधारकों के बीच जानकारी का एक सहज प्रवाह हो। शहरी स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का संचालन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है ताकि जानकारी प्राप्त करने में देरी, जानकारी की उपलब्धता, चुनाव के लिए आवश्यक योजना, जानकारी का आदान-प्रदान निर्वाचन प्रक्रिया को सहज बनाने हेतु।

चुनौतियां

1. महत्वपूर्ण सफलता कारक: परिवर्तन प्रबंधन, प्रशिक्षण, प्रयोज्य, लचीलापन और पारदर्शिता में सुधार।
2. योजना और चुनावों के संचालन के लिए चुनाव से संबंधित जानकारी की उपलब्धता।
3. सभी हितधारकों के बीच विलंबित संचार।
4. संसाधनों का उपयोग।
5. मध्यप्रदेश (जिला निर्वाचन कार्यालय) में डेटा की उपलब्धता।
6. किसी भी जानकारी को प्राप्त करने हेतु बार-बार स्मरण करवाना।
7. पूर्व में निर्वाचन प्रणाली आधारित थी एवं आंकड़े जुटाने कठिन था।

उपलब्धियां

1. लैन कार्यान्वयन
2. वेब पोर्टल डिजाइन, विकास और परीक्षण
3. इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम
4. इंटीग्रेटेड पोलिंग इनफॉर्मेशन सिस्टम
5. मोबाईल एप
6. जी.आई.एस. पोर्टल
7. जी.आई.एस. आधारित इलेक्शन प्लानिंग एवं डिसिजन सपोर्ट सिस्टम
8. डाटा डिजिटाइजेशन (डीएमएस और ओसीआर)
9. प्रबंधन सूचना प्रणाली
10. चुनाव सामग्री प्रबंधन प्रणाली
11. बजट प्रबंधन प्रणाली
12. रिकार्ड रूम प्रबंधन प्रणाली

13. फोटोयुक्त मतदाता सूची
14. प्रेक्षक रिपोर्ट
15. मोबाइल एप आधारित मतदाता पर्ची वितरण
16. सूचित निर्णय लेने के लिए एमआईएस
17. ई.व्ही.एम. प्रबंधन
18. लेटर मॉनिटरिंग प्रणाली
19. निर्वाचन कार्मिक, अभ्यर्थी, मतदाता आदि के लिये सूचना प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन से संबंधित जानकारी

आयोग द्वारा वर्ष 2015 के उत्तरार्द्ध में संपन्न हुए नगरीय/पंचायतों के आम/उप निर्वाचन में नवाचार के तौर पर पूर्व से प्रचलित 32 प्रकार के लिफाफों की संख्या को कम करते हुए नीले/पीले रंग के फाईल फोल्डर एवं मात्र 5 प्रकार के लिफाफों का प्रयोग किया गया।

उक्त पायलेट प्रोजेक्ट अत्यधिक सफल रहा। उपरोक्त नवाचार से पीठासीन अधिकारियों के निर्वाचन कार्य काफी सरल हो गये है। आयोग द्वारा इस नवाचार को राज्य निर्वाचन आयुक्तों की गुजरात बैठक में भी प्रदर्शित किया गया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना हुई तथा कई राज्यों द्वारा इस नवाचार को अपने यहाँ भी लागू करने में रूचि दिखाई गई है।

जिलों से प्राप्त फीडबैक एवं प्रयोग के सफल होने से आयोग द्वारा आगामी समस्त निर्वाचनों में लिफाफों के स्थान पर फाईल/फोल्डर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2016 में संपन्न हुए समस्त निर्वाचनों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। इस नवाचार के फलस्वरूप 32 प्रकार के लिफाफों की छपाई की कमी होने से प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना पाई गई है।

सेंस के संबंध में

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2015-2016 में आयोग द्वारा सेंस से संबंधित निम्नांकित गतिविधियां सम्पन्न कराई गई:-

- पहली बार नगरीय निकायों के निर्वाचनों में फोटोयुक्त मतपत्र का उपयोग।
- जिलों के महाविद्यालयों में परिसर दूत की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण।
- जिलों की एवं जनपद पंचायत की साधारण सभा की बैठकों, समस्त नगरीय निकायों की साधारण सभा की बैठकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित बैंकों की बैठकों में ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन।
- मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों की गतिविधियों की बैठकें।
- जिला स्तर पर राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन एवं जानकारी का प्रदाय।

- सिविल सोसायटी संगठनों व निजी प्रतिष्ठानों की बैठकों का आयोजन एवं जानकारी का प्रदाय ।
- महाविद्यालयों, स्कूलों, कार्यालयों, हाट-बाजारों में ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन ।

4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 16 जून, 2016 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव एवं श्री रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार को राष्ट्रीय एकता समिति का उपाध्यक्ष मनोनित किया गया है ।

4.12 राज्य सत्कार कार्यालय

मध्यप्रदेश में राज्य अतिथियों के भ्रमण कार्यक्रम अनुसार उनके स्वागत, विदाई, आवास, परिवहन, भोजन एवं सुरक्षा आदि समस्त प्रोटोकाल का पालन करने हेतु आधुनिक सूचना तकनीक का इस्तेमाल करते हुये पारदर्शी सिस्टम का विकास राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा किया गया है । राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:-

1. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है ।
2. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम का अनुसरण छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिये छत्तीसगढ़ शासन एवं उनके समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी किया गया है । उक्त राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम की सराहना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है ।
3. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम का अनुसरण महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी किया जा रहा है जिसके लिए राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा उनके अनुरूप सिस्टम तैयार कर उपलब्ध कराया गया है ।
4. राज्य अतिथि पंजीयन - मध्यप्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथि द्वारा भ्रमण कार्यक्रम कहीं से एवं किसी भी समय राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट www.stateprotcol.mp.gov.in पर भरा जा सकता है ।
5. राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट www.stateprotcol.mp.gov.in पर प्रथम बार भ्रमण कार्यक्रम फीड करने हेतु यूजर रजिस्ट्रेशन कर पासवर्ड प्राप्त करना होगा ।
6. राज्य सत्कार कार्यालय द्वारा राज्य अतिथि की श्रेणी एवं सुरक्षा श्रेणी अनुसार अतिथि घोषित करने संबंधी अप्रुवल प्रदान करने पर आदेश तैयार हो जायेगा ।
7. राज्य अतिथि घोषित करने संबंधी आदेश संबंधित राज्य अतिथि/ संभाग आयुक्त/ कलेक्टर/ जिला प्रोटोकाल अधिकारी/ राज्य सत्कार कार्यालय को तत्काल ई-मेल पर प्राप्त होगा ।

8. राज्य अतिथि के आवास/ परिवहन व्यवस्थाओं यथा रूकने के स्थान का पूरा विवरण कक्ष क्रमांक सहित, वाहन क्रमांक/प्रकार, वाहन चालक का नाम/ दूरभाष क्रमांक इत्यादि की जानकारी राज्य अतिथि को वेब साइट के माध्यम से उनके यूजर रजिस्ट्रेशन/पासवर्ड से ज्ञात हो सकेगी।
 9. **प्रोटोकाल मेन्युअल** - राज्य सत्कार कार्यालय की वेब साइट पर प्रोटोकाल मेन्युअल की लिंक में सत्कार व्यवस्था से संबंधित सभी आदेश उपलब्ध रहेंगे।
 10. **संचार** - सत्कार व्यवस्था से संबंधित समस्त कलेक्टर/जिला प्रोटोकाल अधिकारी/स्टेट प्रोटोकाल कार्यालय के सभी अधिकारियों के अद्यतन दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर उपलब्ध रहेंगे।
 11. **एसएमएस अलर्ट** - वेब साइट के माध्यम से राज्य अतिथि के जिले में आगमन के पूर्व राज्य शिष्टाचार अधिकारी/संबंधित कलेक्टर/ जिला प्रोटोकाल अधिकारी को राज्य अतिथि के भ्रमण की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे राज्य अतिथि की सत्कार व्यवस्था में कोई चूक न हो।
 12. **डेली विजिटर्स लिस्ट** - वेब साइट के होम पेज पर प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथियों की सूची प्रतिदिन वेब साइट पर आम जनता की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेगी।
 13. **सिक््युरिटी ऑडिट** - महत्वपूर्ण वीआईपी एवं वीवीआईपी के कार्यक्रमों/ व्यवस्थाओं की पूर्ण गोपनीय एवं सुरक्षा हेतु वेब साइट का सिक््युरिटी ऑडिट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से कराया गया है।
 14. **व्ययों की स्वीकृति** - राज्य अतिथि के आवास, परिवहन, भोजन आदि पर होने वाले व्ययों की स्वीकृति संबंधी आदेश तथा भुगतान संबंधी विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से जारी किये जा सकेंगे।
 15. **राज्य अतिथियों की सूची** - वेबसाइट एवं विकसित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे वर्ष भर प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों से संबंधित व्यवस्था एवं हुये व्यय का संपूर्ण विवरण एक क्लिक पर राज्य सत्कार कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, जिससे राज्य अतिथियों की सत्कार व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी।
- **प्रदेश में सत्कार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण**
 - **मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम में संशोधन** - मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 1958 में व्यापक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम, 2011 का प्रकाशित किया गया है। मुख्य संशोधन राज्य अतिथियों का सूची-अ एवं ब में वर्गीकरण, शासकीय एवं अशासकीय प्रवास, अवधि, सुरक्षा, वाहन व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था में किया गया है।

- **सुरक्षा व्यवस्था** - प्रदेश में राज्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण पर सुरक्षा, पायलट एवं फालो संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुये विस्तृत निर्देश गृह विभाग द्वारा जारी किये गये।
- **परिवहन व्यवस्था** - राज्य अतिथियों एवं मध्यप्रदेश के वीआईपी एवं वीवीआईपी के सत्कार व्यवस्था हेतु शासकीय वाहनों का अधिग्रहण प्रतिबंधित किया जाकर परिवहन व्यवस्था हेतु निजी ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
- **विशिष्ट अतिथियों की सत्कार व्यवस्था** - विशिष्ट अतिथि यथा - माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं उच्च सुरक्षा प्राप्त महानुभावों के सत्कार, अगवानी एवं विदाई, आवास, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था की प्रक्रिया का निर्धारण कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये। इस व्यवस्था पर व्यय हेतु प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जिले को **आतिथ्य पर व्यय** लेखाशीर्ष में रूपये 2.99 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है।
- **जिला प्रोटोकाल अधिकारी** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को पदेन जिला प्रोटोकाल अधिकारी तथा इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में संयुक्त कलेक्टर को जिला प्रोटोकाल अधिकारी नामित किया गया है।
- **सत्कार शाखा** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में कलेक्ट्रेट में सत्कार शाखा गठित किये जाने एवं सत्कार शाखा में अमले की व्यवस्था संबंधी आदेश जारी किया गया है।
- **मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति** - प्रदेश के समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारी को मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **आवश्यक संसाधन** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित सत्कार शाखा को टेलीफोन, कम्प्यूटर मल्टीफंक्शनल प्रिन्टर मय फैक्स, कम्प्यूटर हेतु बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया है।
- **वाहन व्यवस्था** - इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में जिला प्रोटोकाल अधिकारी को किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
- **ई-मेल एड्रेस** - प्रदेश के सभी जिला प्रोटोकाल अधिकारियों का ई-मेल खाता एनआईसी पर खोला जाकर सूचनाओं का आदान प्रदान ई-मेल के माध्यम से किया गया।
- **मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स (पूर्वताक्रम) - 2011** - मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स, 1964 का केन्द्रीय एवं अन्य राज्यों के ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स के अनुरूप बनाने तथा नवीन पदों/कार्यालयों के सृजन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश का नवीन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स, 2011 प्रकाशित किया गया है।

- **वी.वी.आई.पी. अतिथियों का आगमन** - दिनांक 14 से 17 अप्रैल, 2016 तक नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी, भोपाल में जजेस रिट्रीट का आयोजन हुआ है। उक्त आयोजन में भारत के माननीय राष्ट्रपति सहित सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के समस्त जजेज का आगमन हुआ था। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री, भारत का दिनांक 09/08/2016 को इन्दौर, भाबरा जिला अलिराजपुर, दिनांक 24/10/2016 को किसान सम्मेलन के अवसर पर भोपाल/सीहोर भ्रमण एवं माननीय राष्ट्रपति, भारत का दिनांक 03/10/2016 को ग्वालियर एवं थाईलैंड की राजकुमारी महा चक्री सिरिनधोर्न एवं प्रतिनिधि मण्डल का दिनांक 22/11/2016 सहित अन्य वीवीआईपीज़ का भोपाल आगमन हुआ।

भाग - दो

5. बजट

5.1 मांग संख्या - 01

सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्थापनाओं के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक
1.	राज्यपाल सचिवालय	1	2012	मतदेय - 1,16,50 भारित - 9,27,75	भारित - 47,50	भारित - 25,00
2.	मंत्रि परिषद के सदस्यों का वेतन एवं पेट्रोल, अन्य व्यय एवं स्वेच्छानुदान	1	2013	मतदेय - 89,44,30	-	मतदेय - 10,00,00
3.	राज्य निर्वाचन आयोग	1	2015	मतदेय - 53,60,29	-	-
4.	लोक सेवा आयोग	1	2051	मतदेय - 35,00,29	भारित - 65,15.7	भारित - 18,11,00
5.	सचिवालय सामान्य सेवाएं, जन शिकायत निवारण, राज्य मंत्रालय के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली, विशेष आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	1	2052	मतदेय - 1,05,68,92 भारित -1,60	मतदेय - 2,56,80.1	मतदेय - 2,50,00
6	जिला प्रशासन	1	2053 (आयोजनेत्तर)	0	-	-
7	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्य	1	2055	मतदेय - 18,07,49 भारित - 1,00	मतदेय - 0.3	मतदेय - 82,00

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक
8.	आयुक्त म.प्र.भवन, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)	1	2059	मतदेय - 6,71,52	-	-
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं - प्रशासन अकादमी, लोकायुक्त कार्यालय, विभागीय जांच आयोग	1	2070	मतदेय - 42,67,88 भारित - 0	-	मतदेय - 4,63,50
			2070 (आयोजना)	मतदेय - 10,00 भारित - 0	-	-
10.	परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (इंदिरा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार योजना)	1	2235	मतदेय - 1,00	-	-
11	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	1	2251	मतदेय - 33,11,40	-	मतदेय - 1,00,00
12	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1	3451	मतदेय - 25,36,60	-	मतदेय - 1,00,00
13	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लोक सेवा केन्द्रो का निर्माण एवं मध्यांचल भवन का निर्माण	1	4059 (आयोजनेत्तर)	1	-	-
(अ)	प्रशासन अकादमी एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो	1	4059 (आयोजना)	29,51,50	-	-
	मांग संख्या - 01 योग		आयोजना	मतदेय - 29,61,50 भारित - 0	मतदेय - 2,56,80.4 भारित - 1,12,65.7	मतदेय - 19,95,50 भारित - 18,36,00
			आयोजनेत्तर	मतदेय - 3,75,85,91 भारित - 44,30,64		

बजट

5.2 मांग संख्या - 02

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक
1.	सचिवालय सामान्य सेवाएं, (मानव अधिकार कार्यालय)	2	2052	मतदेय - 6,00,00	-	-
2.	जिला प्रशासन (गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण)	2	2053	मतदेय - 12,00	-	-
3.	विशेष जांच आयोग/सरदार सरोवर परियोजना/ सत्कार कार्यालय एवं राज्य सूचना आयोग	2	2070	मतदेय - 12,78,06 भारित - 0	मतदेय - 0.200	-
4.	विविध सामान्य सेवाएं (राजाओं के संबंधितों के सेवकों को भत्ते)	2	2075	मतदेय - 10	-	-
5.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना/ लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि/ दुर्घटना में मृतकों के परिवार को सहायता)	2	2235	मतदेय - 35,00,00	-	-
6.	अन्य सामाजिक सेवाएं (अन्य संस्थाओं को अनुदान/ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार)	2	2250	मतदेय - 40,00	-	मतदेय - 1,00
	मांग संख्या - 02 योग			मतदेय - 54,30,16 भारित - 0	मतदेय - 0.200	मतदेय - 1,00

भाग - तीन

6. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजनायें

(1) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजनायें संचालित हैं:-

- (अ) भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य
- (ब) प्रकोष्ठ इकाई, ग्वालियर कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण कार्य
- (स) प्रकोष्ठ इकाई, रीवा कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण कार्य
- (द) प्रकोष्ठ इकाई, जबलपुर कार्यालय भवन निर्माण कार्य

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मुख्यालय भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य की कुल योजना लागत राशि रूपये 7,51,11,234/- है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 13.85 लाख का आवंटन हुआ है। मुख्यालय नवीन प्रशासनिक भवन में स्थापित होकर कार्य कर रहा है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई, ग्वालियर कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजना की कुल लागत राशि रूपये 2,65,26,475/- है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना हेतु राशि रूपये 12.30 लाख का बजट आवंटन हुआ है। इस योजना का संपूर्ण कार्य समाप्त हो चुका है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजना की कुल लागत राशि रूपये 9,90,00,000/- है। कार्यालय एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 13.85 लाख का बजट आवंटन हुआ है। यह योजना आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारंभ होना संभावित है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर कार्यालय भवन निर्माण कार्य योजना की कुल लागत राशि रूपये 3,16,62,000/- है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 04.86 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। इस योजना की शेष राशि रूपये 34.40 लाख आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित होने पर यह योजना समाप्त हो जावेगी।

(2) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालित योजनाओं के आवंटन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आवंटन:-

क्र.	नाम योजना	राशि (लाख में)
1.	जबलपुर इकाई निर्माण कार्य	04.86
2.	भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	13.85
3.	ग्वालियर इकाई निर्माण कार्य	12.30
4.	रीवा इकाई निर्माण कार्य	13.85
	कुल राशि	44.86

(3) आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालित निर्माण कार्यों हेतु वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार बजट आवंटन की अनुशंसा की गई है:-

क्र.	नाम योजना	राशि (लाख में)
1.	जबलपुर इकाई निर्माण कार्य	34.40
2.	भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	92.69
3.	रीवा इकाई निर्माण कार्य	300.00
	कुल राशि	427.09

भाग - चार

7. जांच आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न घटनाओं की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाता है। विगत वर्षों में गठित जांच आयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त/अप्राप्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	भोपाल नगर निगम में अध्यक्ष चुनाव घटना जांच आयोग।	एफ 1-2/2000 दि. 29/01/2000	मान. न्यायमूर्ति श्री एस.के.दुवे	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण। गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
2.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर की मृत्यु घटना की जांच आयोग।	एफ 24-10/2004 दि. 06/08/2004	मान. श्री गुलाब सिंह सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण। गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
3.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अनियमितता जांच आयोग।	एफ 22-15/2005 दि. 08/02/2008	मान. न्यायमूर्ति श्री एन. के. जैन	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण। सामाजिक न्याय विभाग में कार्यवाही प्रचलित
4.	सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय पत्र एवं अनियमितता जांच आयोग।	एफ 24-20/2008 दि. 08/10/2008	मान. न्यायमूर्ति श्री एस. एस. झा	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच रिपोर्ट दिनांक 29/07/16 को विधानसभा के पटल पर रखी गई है।
5.	भोपाल यूनिजन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग।	एफ 24-09/2010 दि. 25/08/2010	मान. न्यायमूर्ति श्री एस. एल. कोचर	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण। गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित
6.	जिला भिण्ड गोली चालन घटना न्यायिक जांच आयोग।	एफ 24-01/2012 दि. 12/07/2012	श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवा निवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दि. 30/06/2015 से	जांच रिपोर्ट अप्राप्त	जांच रिपोर्ट अपेक्षित

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त/अप्राप्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
7.	जिला सिंगरौली थाना वैढ़न में हुई गोली चालन घटना की न्यायिक जांच आयोग।	एफ 24-25/2013 दि. 16/12/2013	श्री आर.एस.त्रिपाठी, सेवा निवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच पूर्ण। गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
8.	ग्वालियर में दिनांक 03/08/2015 को पुलिस मुठभेड में हुई धर्मेन्द्र कुशवाह की मृत्यु की जांच	एफ 24-03/2015 दि. 17/08/2015	श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवा निवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट प्राप्त दि. 09/01/17	जांच पूर्ण। गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
9.	पेटलावद जिला झाबुआ में दि. 12/09/2015 को हुए विस्फोट की घटना की जांच आयोग का गठन	एफ 24-05/2015 दि. 15/09/2015	श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/12/15 को मुख्य सचिव को प्राप्त। दि. 06/04/16 को गृह विभाग को भेजा गया
10.	दिनांक 30-31 अक्टूबर, 2016 को सेन्ट्रल जेल से 8 बंदियों के भागने की घटना जांच आयोग का गठन	एफ 24-7/2016 दि. 07/11/2016	श्री एस.के.पाण्डे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, जबलपुर	जांच रिपोर्ट अप्राप्त	जांच कार्यवाही प्रचलित
11.	दि. 12/10/2016 को पेटलावद जिला झाबुआ में मोहरम जुलूस रोके जाने की घटना जांच आयोग का गठन	एफ 24-9/2016 दि. 20/11/2016	श्री राजकुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट अप्राप्त	जांच कार्यवाही प्रचलित

भाग - पांच

8. अभिनव योजना/कार्य

- (1) दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- (2) म.प्र. मंत्रालय भवन में विस्तार का कार्य प्रगति पर है तथा मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा समीक्षा की जाती है।
- (3) मंत्रालय के कर्मचारियों के लिये शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु एक्वागार्ड व्यवस्था निरन्तर जारी है।

भाग - छः

9. निकाले जा रहे प्रकाशन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का संकलन वर्षवार प्रकाशित किया जाता है।

भाग - सात

10. महिला सशक्तिकरण

राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग महिलाओं के समग्र विकास के लिये नीतियों के निर्माण एवं उसके पालन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि 19 मई, 1999 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये सभी विभागों में समितियों के गठन के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सभी विभागों को उनके प्रशासनिक प्रतिवेदन में जेण्डर मुद्दों से संबंधित चेप्टर सम्मिलित करने के निर्देश पत्र क्रमांक एफ 11-19/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 08/05/2015 के द्वारा जारी किये गये हैं। इसी तरह सभी विभागों को जेण्डर रिस्पॉसिव बजट की विभागीय स्तर समीक्षा एवं निगरानी के लिये जेण्डर सेल के गठन के भी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से दिये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर भी पत्र क्रमांक एफ 11-07/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 15/02/2016 के माध्यम से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में जेण्डर सेल का गठन किया गया है।

जेण्डर संवेदनशीलता पर अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी बिन्दु को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावाली में जोड़ने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा 19 मई, 2015 को महिला पंचायत में की गई थी। इसका पालन करते हुए पत्र क्रमांक 1017/11-26/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 07/08/2015 के माध्यम से सभी विभागों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नानुसार संशोधन किया है:-

“किन्ही सेवा नियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेण्टल एंड कम्पार्टमेंटवाइस) होगा।”

राज्य शासन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ निर्वाचित होकर कार्यरत हैं।

भाग - आठ

11. सारांश

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का प्रमुख विभाग है जो सभी विभागों का समन्वय कर राज्य शासन की नीति/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक सेवकों की सेवा से संबंधित नियम/निर्देश, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं विभागीय जांच संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही लोकायुक्त संगठन, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के प्रशासकीय विभाग का कार्य करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्तजनों, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों तथा महिलाओं के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही शासकीय सेवा में इनके प्रतिनिधित्व की मॉनिटरिंग करता है।

जाति प्रमाण पत्र बनाने में आमजन को आ रही कठिनाई को दूर करते हुए इसका सरलीकरण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं अनुप्रमाणित शपथ पत्र के स्थान पर स्व घोषणा-पत्र लागू करने तथा दस्तावेज के स्व-प्रमाणीकरण को मान्य किया गया।

मंत्रालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय में स्टाफ की अत्याधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों को दो चरणों में भरने के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है।

संवेदनशील प्रशासन को महत्व देते हुए विभाग के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ ही सभी संवर्गों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। वरिष्ठता सूचियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा विभागीय जांच एवं शिकायतों की प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया गया।

भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से गठित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए उसका आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया गया है।

सुशासन की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा अनेक नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

:: ::

परिशिष्ट - एक

सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों में कार्य आवंटन

कक्ष

1. कक्ष क्रमांक -1

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राजभवन
3. मंत्रि परिषद् (गठन, शपथ-विधि, मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, बजट)
4. मंत्रि परिषद् की बैठक
5. मंत्रि परिषद् उप समितियों के गठन
6. मंत्रियों के विवेकाधीन निधि/जनसंपर्क दौरे/जनसंपर्क अनुदान
7. उच्च न्यायालय
8. लोक सेवा आयोग
9. प्रशासनिक अधिकरण
10. विलीनीकृत रियासतों से संबंधित मामले
अर्थात्
(एक) एकीकरण करार
(दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी धैलियां निजी संपत्ति, और उनके परिवार के सदस्यों को भत्ते
(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रूप में मनाये जाने वाले समारोह
11. वारंट ऑफ प्रेसिडेन्स

2. कक्ष क्रमांक -2(1)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित स्थापना विषयक कार्य

1. नियुक्ति, सीधी भरती, विभागीय परीक्षा
2. प्रशिक्षण
3. गोपनीय प्रतिवेदन
4. पदोन्नति एवं क्रमोन्नति
5. सेवानिवृत्त
6. कैरियर प्लानिंग

7. वरिष्ठता निर्धारण, पदक्रम सूची
8. विधान सभा प्रश्न
9. न्यायालयीन प्रकरण
10. सूचना का अधिकार
11. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन
12. स्थानान्तरण
13. अवकाश स्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवावृद्धि
14. परीक्षा अनुमति, परीक्षा में छूट
15. राज्य सीमा से बाहर की यात्रा

3. कक्ष क्रमांक -2(2)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित विजिलेंस विषयक कार्य

1. विभागीय जांच/अपील
2. अभियोजन, शिकायत
3. अचल संपत्ति विवरण
4. पेंशन
5. निलंबन एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. विधान सभा प्रश्न
7. न्यायालयीन प्रकरण
8. सूचना का अधिकार
9. वेतन निर्धारण
10. गृह निर्माण अग्रिम
11. जीआईएस/जीपीएफ आदि

4. कक्ष क्रमांक -3

1. शासकीय सेवकों की सेवा की सामान्य शर्तें
2. शासकीय सेवकों के विषय में आचरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी नियम/निर्देश
3. अस्थाई एवं अर्द्ध स्थाई सेवा नियम
4. सेवा भरती नियम
5. सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के मार्गदर्शी निर्देश
6. तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति के नियम/निर्देश/प्रतिनियुक्ति
7. हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन परीक्षा सम्बन्धी नियम/निर्देश

8. मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013
9. अतिशेष कर्मचारियों का संविलियन
10. अनुकम्पा नियुक्ति
11. स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक (डाक्टरेट) उपाधियां प्राप्त करने एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित अग्रिम वेतन वृद्धि
12. शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य
13. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कार्य
14. तदर्थ रूप से कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण, भरती नियम आदि
15. कर्मचारी संघो द्वारा समय-समय पर दिये गये ज्ञापनों/मांगो पर कार्यवाही
16. वेतनमानों का युक्तियुक्तकरण
17. वेतनमान/वेतनमान विसंगति के प्रकरण/वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं
18. पदनाम परिवर्तन
19. विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को राजपत्रित घोषित किया जाना
20. वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित कार्य

5. कक्ष क्रमांक - 4(1)

1. राज्यपाल का अभिभाषण/कृतज्ञता ज्ञापन
2. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
3. शासकीय भवनों का नामकरण
4. संसद सदस्यों की बैठक
5. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच समन्वय
6. सचिव समिति/विभिन्न समितियों का गठन
7. मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल भवन नई दिल्ली तथा मुंबई स्थित परिसम्पतियों से सम्बन्धित समस्त कार्य
8. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत
9. राज्य चिन्ह
10. छुट्टियां
11. शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय केलेण्डर
12. विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दो पर सामान्य निर्देश/अभिमत
13. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन
14. राज्य अतिथिगृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
15. पारितोषक और अलंकरण

16. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
17. राष्ट्रपति से अलंकृत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
18. राष्ट्रीय त्यौहार
19. राज्य के उत्सव और समारोह
20. संयुक्त राष्ट्र संघ
21. राजपत्र (असाधारण/राजपत्रों का प्रदाय)
22. महत्वपूर्ण घटनायें
23. विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना संदेश (शोक)
24. विभिन्न मांग पत्र
25. टैरीटोरियल आर्मी
26. फील्ड फायरिंग रेंजेज
27. ऐसे विषय जो शासन के किसी विभाग को आवंटित न हो
28. भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र से संबंधित कार्य
29. सामान्य चुनाव-सामान्य निर्देश, शिकायतें आदि
30. घोषणाएं-माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण

6. कक्ष क्रमांक 4(2) (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)

राज्य पुनर्गठन से संबंधित समस्त कार्य

7. कक्ष क्रमांक 5

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानान्तर, पदोन्नति, सेवा नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति
2. गृह निर्माण, वाहन अग्रिम आदि
3. अवकाश, प्रशिक्षण
4. राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन
5. वरिष्ठता निर्धारण, सिविल सूची, संवर्ग परिवर्तन
6. गोपनीय चरित्रावली का संधारण, अखिल भारतीय (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अनुसार 2007-08 से आगे के वर्षों के वार्षिक पी.ए.आर. डिस्क्लोज करने तथा प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण
7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, स्थाईकरण
8. विभिन्न राज्यों के लोक सभा/विधान सभा चुनाव के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति

8. कक्ष क्रमांक 6

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. शिकायतें, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच
2. संपत्ति प्रपत्र का संधारण आदि
3. सेवा अभिलेखों का संधारण
4. वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, पेंशन, केन्द्रीय समूह बीमा योजना, जी.आई.एस.आदि लेखा संबंधी कार्य.
5. मंत्रालय सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं अवरसचिव, उपसचिव, अपर सचिव, मान. मंत्रीजी के विशेष सहायक के सेवा अभिलेखों का संधारण वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, वेतन पर्ची जारी करना

9. कक्ष क्रमांक 7(1)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. नियुक्ति
2. पदोन्नति
3. परिचीक्षा/स्थायीकरण
4. पदस्थापना
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. पद निर्माण
7. कर्मचारियों के बायोडाटा का कम्प्यूटरीकरण
8. मंत्री स्थापना में स्टाफ की पूर्ति
9. बैंक ऋण
10. विभाग/कक्षों के कार्य बोझ का अध्ययन
11. आई. टी. सेल
12. गोपनीय प्रतिवेदन
13. पदक्रम सूची
14. मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति
15. मंत्रालय से अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति
16. लेखा प्रशिक्षण
17. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
18. मंत्रालयीन कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण
19. 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में छानबीन समिति की कार्यवाही

10. कक्ष क्रमांक 7(2)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. पेंशन

2. वेतन निर्धारण
3. वार्षिक एवं अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति
4. अचल संपत्ति का रख रखाव/चल-अचल संपत्ति क्रय/विक्रय की सूचना ग्राह्य करने की कार्यवाही।
5. अवकाश स्वीकृतियां
6. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 के अंतर्गत स्वीकृतियां
7. मध्यप्रदेश समूह बीमा योजना 1985 एवं मध्यप्रदेश परिवार कल्याण निधि योजना 1974 के अंतर्गत स्वीकृतियां, म.प्र. शासकीय कर्मचारी, बीमा-सह-बचत योजना, 2003
8. मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत स्वीकृतियां
9. गृह भाड़ा भत्ता एवं सचिवालय भत्ता की स्वीकृतियां
10. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम तथा यात्रा सुविधा नियमों के अंतर्गत दावों की स्वीकृतियां
11. मूलभूत नियमों के अंतर्गत मानदेय एवं फीस की स्वीकृतियां
12. अनुग्रह, अनुदान एवं विशेष वेतन स्वीकृतियां
13. सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण

11. कक्ष क्रमांक 7(3)

मंत्रालयीन सेवा एवं गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. गैर मंत्रालयीन सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर) के अधिकारियों की पदस्थापना
2. मंत्रालयीन सेवा के अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव/अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति
3. वेतन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि
4. अवकाश स्वीकृति
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिकायतें
6. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति
7. वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम आदि
8. अचल संपत्ति विवरण का रख-रखाव एवं क्रय स्वीकृति आदि
9. गोपनीय प्रतिवेदन

12. कक्ष क्रमांक 8

विधान सभा से संबंधित समन्वय का कार्य

1. सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त होने वाले अन्य विभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनार्यों, स्थगन प्रस्ताव का विभागों को आवंटन तथा विधान सभा आश्वासन, अपूर्ण उत्तरों का समन्वय
2. विभागीय समन्वय कार्य

3. विभागीय डाक वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य
4. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
5. न्यायालयीन प्रकरणों का समन्वय कार्य
6. विभागीय लोक लेखा समिति से संबंधित समन्वय कार्य

13. कक्ष क्रमांक 9(1)

1. प्रशासन अकादमी
2. प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण
3. मध्यप्रदेश की राज्य प्रशिक्षण नीति
4. विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण संस्थाओं में समन्वय
5. म. प्र. सेटकॉम (सेटेलाइट प्रशिक्षण)
6. राज्य प्रशिक्षण परिषद
7. एकल नस्ती एवं राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था
8. सामान्य पुस्तक परिपत्र का पुनरीक्षण
9. मंत्रालय में फाइल मूवमेंट सिस्टम
10. मुख्य सचिव मॉनिटरिंग, उच्च प्राथमिकता योजनाओं का समन्वय, घोषणा-पत्र का समन्वय कार्य
11. सचिवालय पुस्तिका का पुनरीक्षण

14. कक्ष क्रमांक 9(2)

1. जिला सरकार प्रणाली
2. द्वि-स्तरीय शासन प्रणाली
3. ग्राम सरकार के गठन का समन्वय
4. प्रभारी सचिवों की नियुक्ति
5. निरीक्षण एवं निरीक्षण रोस्टर
6. सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य कक्षों के विषय छोड़कर शेष का अंतर विभागीय समन्वय
7. टास्क समूह के प्रतिवेदनों पर कार्यवाहियां/चुनाव घोषणापत्र पर कार्यवाही
8. स्थानांतरण नीति
9. गोपनीय चरित्रावली
10. विभिन्न विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन
11. विघटित कक्ष-9 के अवशेष कार्य
12. नवगठित जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था
13. अंतर्राज्यीय परिषद/मध्यक्षेत्रीय परिषद

14. मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री/मुख्य सचिवों की बैठक, संभागीय आयुक्त/कलेक्टर की बैठक
15. विभागाध्यक्ष घोषित करना
16. महिला नीति
17. जनसुनवाई कार्यक्रम

15. कक्ष क्रमांक 10

1. लोकायुक्त संगठन
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन
3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण, निवारण अधिनियम तथा इसके अंतर्गत कार्रवाई
4. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित प्रकरण तथा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य
5. अचल संपत्ति विवरण
6. जाली मेडिकल बिलों पर नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य
7. जनता की शिकायतों के निवारण हेतु अनुविभागीय समितियां
8. जांच आयोग एवं समितियां

16. कक्ष क्रमांक 11

1. मंत्रालयीन अभिलेख, अभिलेखागार
2. पुस्तकालय
3. कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल

17. कक्ष क्रमांक 12(1)

1. मंत्रालय में कक्षों का आवंटन
2. मंत्रालय, वल्लभ भवन की साफ-सफाई व्यवस्था
3. मंत्रालय में होने वाली बैठकों की व्यवस्था
4. मंत्रालय के लिए फर्नीचर, क्रय मंत्रिगण/अधिकारियों द्वारा वांछित सामग्री की व्यवस्था
5. मंत्रालय में स्टेशनरी प्रदाय
6. कम्प्यूटर, फोटो कापीयर, टाईपराइटर, डुप्लीकेटिंग, घड़ियों की व्यवस्था/रखरखाव
7. लिफ्ट, पानी तथा विद्युत व्यवस्था
8. मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवेश-पत्र
9. सेन्ट्रल डाक व्यवस्था
10. वर्दी का प्रदाय
11. पार्किंग व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था एवं रद्दी नीलामी

18. कक्ष क्रमांक 12(2)

1. मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना/पदस्थापना
2. मंत्रिगणों की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन, वेतनवृद्धि, पेंशन आदि
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम-अनाज, आदि

19. कक्ष क्रमांक 13

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना
2. राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को राज्य सम्मान निधि
3. केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरणों का केन्द्रीय पेंशन नियमों के अंतर्गत शासन की अनुशंसा प्रेषित करना
4. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को सम्मान निधि, मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि के लिये आर्थिक सहायता तथा गंभीर बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता, बजट प्रावधान/आवंटन
5. मिसा/डी.आइ.आर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

20. कक्ष क्रमांक 14 (तीन कक्ष हैं)

1. मंत्रालय का लेखा संबंधी कार्य
2. सामान्य प्रशासन विभाग के बजट का समन्वय
3. वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त अन्य कार्य

21. कक्ष क्रमांक 15

1. राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद का गठन, बैठक
2. कर्मचारी संघों को पत्राचार की मान्यता प्रदाय करना
3. विभागीय/विभागाध्यक्ष/संभाग/जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समितियों के गठन की जानकारी
4. सतर्कता समिति की बैठकों से संबंधित कार्य
5. संयुक्त परामर्शदात्री समिति
6. पत्राचार की सुविधा प्राप्त कर्मचारी संघों से प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही।

प्रकोष्ठ

1. आरक्षण प्रकोष्ठ

1. लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण आदि से संबंधित अधिनियम/नियम/निर्देश तथा उनका समन्वय कार्य
2. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के तहत की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करना

3. भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों की नियुक्तियों में आरक्षण तथा सुविधाओं से संबंधित नियम/निर्देश
4. महिलाओं के लिये राज्य शासन की सेवाओं में आरक्षण संबंधी नियम/निर्देश
5. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन-समन्वय

2. मानव अधिकार प्रकोष्ठ

1. मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत से संबंधित समस्त कार्य

3. पेंशन प्रकोष्ठ

1. मंत्रालय सेवा के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का अन्तिम निराकरण कराया जाना.
2. मंत्रालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित कार्य
3. राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का परीक्षण एवं उनका अन्तिम निराकरण कराया जाना आदि

4. पंच-ज प्रकोष्ठ

जन, जल, जंगल, जमीन एवं जानवरों से संबंधित शासन द्वारा घोषित कार्यक्रम एवं समन्वय कार्य.

5. स्थानान्तर प्रकोष्ठ

प्रथम श्रेणी अधिकारियों से प्राप्त स्थानान्तरण संबंधी अभ्यावेदन पर कार्यवाही

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रशासनिक कार्य

7. सुशासन प्रकोष्ठ

दिनांक 27-28/09/2014 को मंथन-2014 का आयोजन किया गया।

8. मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रि-परिषद की बैठक की तैयारी एवं बैठक का आयोजन

9. सत्कार कार्यालय

1. राज्य अतिथि घोषित करना, उनकी अगवानी विदाई तथा उनके आतिथ्य से संबंधित अन्य व्यवस्था
2. अतिविशिष्ट गणों के प्रदेश भ्रमण पर अगवानी, विदाई, परिवहन व्यवस्था आदि
3. शासकीय भोज के आयोजन पत्र के निमंत्रण संबंधी व्यवस्था
4. व्हीआईपी गेस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस में कक्ष आरक्षण
5. विभिन्न राज्यों के सत्कार कार्यालयों से समन्वय

परिशिष्ट - दो
राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची

एक	सामान्य प्रशासन विभाग
दो	गृह विभाग
तीन	जेल विभाग
चार	वित्त विभाग
पांच	वाणिज्यिक कर विभाग
छः	धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग
सात	राजस्व विभाग
आठ	परिवहन विभाग
नौ	खेल और युवा कल्याण विभाग (दिनांक 16.07.2007 से परिवर्तित)
दस	वन विभाग
ग्यारह	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार (13.09.2004 से परिवर्तित नाम)
बारह	खनिज साधन विभाग
तेरह	ऊर्जा विभाग
चौदह	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (04.01.2007 से कृषि विभाग का परिवर्तित नाम)
पंद्रह	सहकारिता विभाग
सौलह	श्रम विभाग
सतरह	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
अठारह	नगरीय विकास एवं आवास विभाग (30.06.2016 से नाम परिवर्तित)
उन्नीस	लोक निर्माण विभाग
बीस	स्कूल शिक्षा विभाग
इक्कीस	विधि और विधायी कार्य विभाग
बाईस	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
तेईस	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग
चौईस	जनसंपर्क विभाग
पच्चीस	आदिम जाति कल्याण विभाग (दिनांक 21.07.2011 से परिवर्तित)
छब्बीस	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (दिनांक 11.09.2013 से परिवर्तित)
सत्ताईस	नर्मदा घाटी विकास विभाग
X अट्ठाईस	(विलोपित - पुनर्वास विभाग - 19.07.2016)
उन्नतीस	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
तीस	संस्कृति विभाग
इकत्तीस	जल संसाधन विभाग
X बत्तीस	(विलोपित - आवास और पर्यावरण विभाग - 15.07.2014)

तैंतीस	पर्यटन विभाग
चौंतीस	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पैंतीस	पशुपालन विभाग
छत्तीस	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (दिनांक 17.05.2012 द्वारा नाम परिवर्तन)
X सैंतीस	(विलोपित-डेयरी विकास - 03.01.2000)
अड़तीस	उच्च शिक्षा विभाग
X उन्तालीस	(विलोपित - लघु सिंचाई - 24.12.1986)
X चालीस	(विलोपित - आयाकट - 17.08.2001)
इकतालीस	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (दिनांक 12.02.2015 द्वारा नाम परिवर्तन)
बयालीस	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (29.11.2010)
X तिरतालीस	(विलोपित - बीस सूत्र कार्यान्वयन - 17.09.2010)
X चौवालीस	(विलोपित - सार्वजनिक उपक्रम विभाग - दिनांक 19.03.2014)
पैंतालीस	विमानन विभाग
X छयालीस	(विलोपित - नगरीय कल्याण - 22.08.1998)
सैंतालीस	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
अड़तालीस	संसदीय कार्य विभाग
X उनन्चास	(विलोपित - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण - 22.11.1990)
पचास	महिला एवं बाल विकास विभाग
X इक्यावन	(विलोपित - बायो गैस विकास - 06.07.1992)
बावन	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (13.10.2010)
तिरपन	जन शिकायत निवारण विभाग
चौवन	पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
पचपन	चिकित्सा शिक्षा विभाग
X छप्पन	(विलोपित - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - 28.07.2014)
X सत्तावन	(विलोपित - जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) विभाग - 25.08.2014)
अट्ठावन	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग (22.12.2005)
उनसठ	आयुष विभाग (09.09.2008)
साठ	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग (05.10.2010)
इकसठ	लोक सेवा प्रबंधन विभाग (17.09.2010)
बासठ	विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग (22.06.2011)
तिरेसठ	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (21.07.2011)
चौसठ	प्रवासी भारतीय विभाग (15.05.2015)
पेंसठ	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (05.04.2016)
छियासठ	पर्यावरण विभाग (30.06.2016)
सढ़सठ	आनंद विभाग (06.08.2016)



मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) कार्यालय की वेबसाइट का लोकार्पण



भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच